ऋण अनुबंध -सह-बंधक विलेख

यह ऋण अनुबंध सह बंधक विलेख (**"समझौता"**) शेड्यूल 1 में निर्धारित स्थान और दिन, महीना एवं वर्ष में किया गया है।

इनके बीच

1. बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड, *CIN No U65929PN2021PLC206668* जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अधीन संचालित होने वाली एक कंपनी है, जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता है – बजाज ऑटो कम्पलेक्स, मुम्बई पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे *-411035,* **(यहाँ के बाद "ऋणदाता" या "*BACL*"** , जिसके अभिप्राय में प्रसंग के आवश्यकतानुसार इसके उत्तराधिकारी और वारिस शामिल होंगे) प्रथम पक्ष

और

2. ऋण प्राप्तकर्ता, (जिसमें शामिल हैं सह-ऋण प्राप्तकर्ता/सह-आवेदक अगर कोई हो तो) **(सुविधा के लिए (ऋण प्राप्तकर्ता, सह-ऋण प्राप्तकर्ता/सह-आवेदक इसके बाद संयुक्त रूप से "ऋण प्राप्तकर्ता"**) संबंधी विवरण, जो **शेड्यूल 1 अन्य पक्ष** के रूप में संलग्न है।

जब तक कि प्रसंग या अर्थ प्रतिकूल न हो, 'ऋण प्राप्तकर्ता शब्द के अभिप्राय में शामिल होंगे:

(*a*) ऐसी स्थिति, जहाँ ऋण प्राप्तकर्ता कोई *HUF* , तो कर्ता और *HUF* का कोई भी या प्रत्येक सदस्य और उनके उत्तराधिकारी तथा उसके/उनके वारिस, कार्यकर्ता, व्यवस्थापक।

(*b*) ऐसी स्थिति, जहाँ ऋण प्राप्तकर्ता कोई एकल स्वामित्व है, तो एकल व्यापारी और उसके कानूनी वारिस, व्यवस्थापक तथा कार्यकर्ता; एवं

(*c*) ऐसी स्थिति, जहाँ ऋण प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति है, तो उसके कानूनी वारिस, व्यवस्थापक और कार्यकर्ता।

(*d*) ऐसी स्थिति, जहाँ ऋण प्राप्तकर्ता प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो संपूर्ण निकाय।

(ऋणदाता और ऋण प्राप्तकर्ता यहाँ के बाद सामूहिक रूप से "**सभी पक्ष**" और अलग-अलग "**एक पक्ष**")

अतएव:

(A) ऋणदाता एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो अन्य कार्यों के साथ-साथ विभिन्न ग्राहकों को ऋण/वित्त सुविधाएँ प्रदान करने का भी काम करती है, जिसमें वाहन/वाहनों के विरुद्ध क्रय ऋण के लिए ऋण प्रदान करना भी शामिल है।

(B) ऋण प्राप्तकर्ता नया/प्री-ऑन्ड वाहन (**"गैर-व्यावसायिक/व्यावसायिक/निजी/व्यक्तिगत"**), खासकर यहाँ **शेड्यूल 1** ("वाहन")

(C) ऋण प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर और उनके द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरणों एवं जानकारियों पर भरोसा करते हुए, ऋणदाता यहाँ दिए गए उद्देश्य के लिए इस अनुबंध में शामिल नियमों एवं शर्तों के अनुसार अपने स्वतंत्र विवेक से ऋण अनुमोदित करने पर सहमत है।

अब, इसलिए, पूर्ववर्ती और अन्य अच्छे तथा वैध विमर्श को ध्यान में रखते हुए इसकी प्राप्ति तथा पर्याप्तता की स्पष्ट स्वीकृति के साथ

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

सभी पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित पर सहमति देते हैं:

1. परिभाषाएँ और व्याख्याएँ

1.1 इस अनुबंध के उद्देश्यों से, सभी पक्षों के वर्णन में परिभाषित शब्दों के अतिरिक्त: (*a*) इस अनुबंध में कहीं भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से शुरू सभी शब्दों और उद्धरण चिह्नों और/या कोष्ठकों के उपयोग से परिभाषित अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों से संबंधित हो; (*b*) यहाँ उपयोग में लाए गए, लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में दिया गया है; और (*c*) निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो इस खंड 1 में निर्धारित है:

इनके संबंध में ''**संचार का स्वीकार्य माध्यम**'':

(A) ''ऋण प्राप्तकर्ता'' :

.

(*i*) आवेदन पत्र पर ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदत्त, पंजीकृत मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर पर टेलीफोन से कॉल; या
(*ii*) फोटो / वीडियो; या
(*iii*) ऋण प्राप्तकर्ता के पंजीकृत ईमेल पता पर ईमेल; या
(*iv*) ऋण प्राप्तकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पाठ संदेश ''SMS''; या
(*v*) ऋण प्राप्तकर्ता के पंजीकृत डाक पते पर कुरियर/डाक द्वारा प्रेषित लिखित सूचना,
(*vi*) चैटबोट, बिटली, सोशल मीडिया, जैसे व्हाट्सऐप संचार और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम आदि के द्वारा भेजे गए पाठ संदेश; और/या
(*vii*) ऋणदाता द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाली गई अधिसूचना।

(B) ऋणदाता के संबंध में अर्थ होगा:

(*i*) ऋणदाता के वेबसाइट पर दिए गए मोबाइल/लैंडलाइन नंबर पर टेलीफोन कॉल; या
(*ii*) an email on the designated email address of BACL ; या
(*iii*) चैटबोट पर पाठ संदेश; या
(*iv*) स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड A/D द्वारा BACFL

'संबद्ध संस्था (संस्थाओं)' का अर्थ है ऋण प्राप्तकर्ता या ऋणदाता (जैसा मामला हो) की अधीनस्थ कंपनी और/या होल्डिंग कंपनी और/या सहायक कंपनी, जहाँ 'अधीनस्थ कंपनी', 'होल्डिंग कंपनी' 'सहायक कंपनी'

, 2013 , -

'अनुबंध' का अर्थ है और इसमें शामिल है यह अनुबंध, और इसके साथ जोड़े गए सभी शेड्यूल, दस्तावेज, अनुशेष, संलग्नक और परिशिष्ट एवं इसके सभी संशोधन/अनुपूरक तथा दोबारा दिए गए वक्तव्य।

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

'**आवेदन पत्र**' का अर्थ है ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा भरा गया और ऋण के संबंध में (जैसा मामला हो) ऋणदाता के पास जमा किया गया ऐसा ऋण आवेदन, जो ऐसे प्रारूप और तरीके से हो, जो ऋणदाता के निर्देशानुसार तथा उनके लिए स्वीकार्य हो और जिसके साथ ऐसे दस्तावेज और जानकारियाँ हों, जिसकी ऋणदाता को आवश्यकता हो सकती है।

'लागू होने वाले कानून' का अर्थ है 'भारतीय कानून', विनियम, अध्यादेश, न्यायालय का निर्णय, आदेश, डिक्री और/या कोई भी प्रकाशित निर्देश, दिशानिर्देश, अपेक्षा या विनियामक/सरकारी प्रतिबंध, जो प्रासंगिक अवधि में कानूनी प्रभाव रखते हों।

'बाउंस शुल्क' का अर्थ है ऋणदाता को ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आर्थिक दंड के रूप में देय राशि, जहाँ ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा जारी चेक पर बैंक भुगतान जारी नहीं करता या *NACH* अथवा ऋण चुकाने का कोई अन्य माध्यम अस्वीकार हो जाता है अथवा भुगतान नहीं मिलता

'*EMI* डिफॉल्ट शुल्क' का अर्थ है ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को आर्थिक दंड के रूप में देय राशि, जहाँ ऋण नकद चुकाना हो और ऋण प्राप्तकर्ता नियत देय तिथि पर ऋण की *EMI*

'खंडित अवधि (ब्रोकन पीरियड) ब्याज/प्री-*EMI* ब्याज' का अर्थ होगा ऋण अदायगी की तिथि से 30 (तीस) दिन बीतने के बाद जितने दिन हुए, उसके लिए खासकर इस अनुबंध के खंड "*6.6*" और *6.7*
ब्याज की राशि।

'कार्य दिवस' का अर्थ है ऐसा कोई भी दिन, जब*ans any day on which the BACL* शाखा/पंजीकृत कार्यालय काम के लिए खुला हो, अर्थात् ऐसा कोई दिन न हो, जब परक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट) 1881 के अनुभाग 25 में दी गई शब्दावली के अनुसार सार्वजनिक अवकाश हो।

'पूर्व शर्त' का अर्थ है शैड्यूल **2**

'संचार' का अर्थ होगा खंड 18 में निर्दिष्ट संचार।

'पेनल शुल्क/डिफॉल्ट शुल्क' का अर्थ खंड *6.2*

'अदायगी या अदा करना या ऋण अदायगी' ऐसे शब्द हैं, जो निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में पहले मौजूदगी को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए इस अनुबंध में पर्यायवाची रूप से उपयोग में लाए गए हैं:

(i) ऋण की राशि ऋणदाता के खाते से इसके लिए डेबिट होने की तिथि (*a*) ऋण प्राप्तकर्ता के पक्ष में अकाउंट पेयी चेक/पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट जारी करने; या (*b*) ऋण प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में ऋण की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित करने; या इनवॉइस करने वाले विक्रेता या ऋण प्राप्तकर्ता के ऑर्डर के लिए; या इनवॉइस करने वाले विक्रेता के अधिकृत सेवा केंद्र या इनवॉइस करने वाले अधिकृत सेवा केंद्र के लिए।

(ii) ऋण की राशि की अदायगी के लिए अकाउंट पेयी चेक/पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि, भले ही ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा इसे प्राप्त किया/नकदीकृत किया/अभिस्वीकृत किया गया हो या नहीं; या

(iii) ऋण प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में ऋण राशि के ऑनलाइन हस्तांतरण की तारीख, चाहे ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा वापस ली गई/उपयोग की गई हो या नहीं
(और यह संसाधन (प्रोसेसिंग)/सेवा शुल्क, शुल्क, सभी खर्च, शुल्क, स्टांप शुल्क, ब्याज और कर आदि की कटौती के अधीन हैं)

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

'**नियत देय तिथि**' का अर्थ है, इसके संबंध में:

(a) / , संबंधित ऋण चुकाने की तिथियाँ, जैसा कि **शेड्यूल 1**

(b) , शुल्क और खर्च, उस तिथि से सात (7) कार्यदिवसों के भीतर, जब ऋणदाता ने ऋण प्राप्तकर्ता को ऐसी लागतों, शुल्कों और खर्चों के विवरण वाली अधिसूचना भेजी है; और

(c) , वह तिथि जिस पर ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में ऐसी राशि देय होती है, या यदि नियत देय तिथि ऐसे ऋण दस्तावेज़ में निर्दिष्ट नहीं है तो माँग पर बताई गई तिथि।

'**इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निर्देश**' का अर्थ है ' NACH', RBI –
, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएँ और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाएँ।

'**इलेक्ट्रॉनिक मीडिया**' का वही अर्थ होगा जो खंड 19

'**डिफ़ॉल्ट घटना**' का वही अर्थ होगा जो खंड 13 के अंतर्गत और अलग-अलग मामलों के आधार पर ऋणदाता की अन्य शर्तों में दिया गया है।

'**दिवालियापन की घटना**' का अर्थ किसी भी व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से किसी की शुरुआत होगी: (i) लेनदारों/देनदारों के साथ ऐसा समझौता या व्यवस्था या ऋण चुकाने में विफलता, जिस स्थिति में व्यक्ति को नुकसान हो सकता है या बहुत अधिक नुकसान हो सकता है; या

(ii) लागू कानून के तहत एक उपयुक्त न्यायालय द्वारा एक अस्थायी या आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति; या

(iii) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ; या (iv) व्यवसाय का कोई स्वैच्छिक या अनैच्छिक परिसमापन, विघटन या समापन; या कोई मिलती-जुलती प्रक्रिया या कदम उठाया गया है; या

(v) ऋण प्राप्तकर्ता के खिलाफ दिवालियापन का आवेदन दाखिल।

'**किस्तों**' **या** '**समान मासिक किस्तों (EMI/s)**' का अर्थ है ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को मासिक अंतराल पर या **शेड्यूल 1** , जिसमें ऋण की मूल राशि और/ या उस पर लागू ब्याज शामिल है।

'**ऋण देने वाली शाखा**' का अर्थ ऋणदाता का शहर/कस्बे में स्थित वह स्थान है, जो **शेड्यूल 1** में उल्लिखित है।

'ऋण' **का अर्थ परिभाषित उद्देश्य के लिए शेड्यूल 1 में उल्लिखित राशि के लिए ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आवेदित और ऋणदाता द्वारा अनुमोदित ऋण होगा और ऐसा ऋण सावधि ऋण के रूप में होगा।**

'ऋण निरस्तीकरण शुल्क' **का अर्थ है ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा किसी भी कारण से ऋण निरस्त करने (पहली EMI) , जिन कारणों में अन्य के साथ-साथ ऋण रद्द करने के लिए ऋण प्राप्तकर्ता का अनुरोध, ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा वाहन की वापसी, बीएसीएल के पक्ष में वाहन गिरवी रखने का समर्थन न करना शामिल है, जिनका विस्तृत वर्णन** शेड्यूल 1 **में दिया गया है।**

'ऋण पुनर्बुकिंग (लोन रिबुकिंग) शुल्क' **का अर्थ है ऋण की पुनर्बुकिंग के मामले में ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा**

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

प्रदत्त और शेड्यूल 1 में विस्तार से वर्णित **किसी भी विवरण में सुधार के अनुरोध हेतु देय राशि।**

'**ऋण दस्तावेज़**' का अर्थ है सामूहिक रूप से आवेदन पत्र, यह अनुबंध, ऋणदाता द्वारा जारी अनुमोदन पत्र, यदि कोई हो और पूर्ववर्ती दस्तावेजों में से समय-समय पर निष्पादित ऐसा कोई अन्य दस्तावेज़, जिसमें एक पक्ष यह ऋण प्राप्तकर्ता या ऋणदाता है और इसमें कोई अन्य अनुबंध या ऐसा दस्तावेज़ शामिल है, जिसे ऋणदाता ऋण दस्तावेज़ के रूप में निर्दिष्ट करता है।

'**ऋण अवधि**' का अभिप्राय **शेड्यूल 1** में निर्दिष्ट ऋण की अवधि से होगा।

'**भौतिक प्रतिकूल प्रभाव**' का अर्थ है इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव::

(a) किसी भी ऋण दस्तावेज की शर्तें।
(b) ऋण प्राप्तकर्ता की वित्तीय स्थिति, परिसंपत्तियाँ, समृद्धि;
(c) किसी ऋण दस्तावेज के अधीन अपनी उत्तरदेयताओं को निष्पादित और पूरा करने की ऋण प्राप्तकर्ता की क्षमता; और
(d) किसी ऋण दस्तावेज की मान्यता, वैधता, या कार्यान्वयन की क्षमता।
(e) इनके संबंध में कोई सुरक्षा या अन्य अधिकार

'MVA' का अर्थ है मोटर वाहन अधिनियम, 1988, जिसमें समय-समय पर संशोधन या परिवर्तन हो सकता है या इसकी जगह दूसरा कानून लाया जा सकता है।

'RTO' क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय।

'**बकाया देय राशि**' का अर्थ है, किसी समय पर इस अनुबंध और/या किसी अन्य ऋण दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार, ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी जाने वाली सभी बकाया और देय राशि या उत्तरदेयताएँ, जिनमें अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित भी शामिल हैं::

(a) ऋण का मूलधन।
(b) ऋण का ब्याज।
(c) ऋण प्राप्तकर्ता के अन्य सभी दायित्व और उत्तरदेयताएँ, क्षतिपूर्ति राशि, परिसमापन क्षति, लागत, शुल्क, व्यय, त्रुटिपूर्ण भुगतान प्राप्ति और इस अनुबंध और/या किसी अन्य ऋण दस्तावेजों के संबंध में लगने वाले अन्य शुल्क और ब्याज (अलग-अलग या संयुक्त रूप से) या कानून या अनुबंध या किसी अन्य वित्त/क्रेडिट सुविधा के अधीन ऋण प्राप्तकर्ता का ऋणदाता से संबंधित कोई भी ऋण या देयता, चाहे वह नकदी में हो या अन्यथा, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित या सौंपा गया हो, और चाहे माँगने पर देय हो अथवा डिक्री या किसी व्यवहार न्यायालय के आदेश के तहत या पंचों का फैसला हो अथवा बंधक या वादा या गिरवी रखी चीज पर लिया गया ऋण हो; और
(d) इस समझौते और/या किसी अन्य ऋण दस्तावेज़ के तहत देय किसी भी राशि के प्रवर्तन और संग्रहण के लिए ऋणदाता द्वारा किया गया कोई भी और सभी खर्च या राशि, जिसमें प्रवर्तन और वसूली के खर्च और/या BACL

'**पूर्व-भुगतान शुल्क**

/ , जिसका विवरण **शेड्यूल 1** में प्रदान किया गया है।

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

अग्रिम *EMI*, ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण के लिए अग्रिम भुगतान किया गया *EMI/s*, *EMI's*

शेड्यूल 1

'संसाधन शुल्क' का अर्थ है आवेदक के आवेदन पत्र/ऋण को संसाधित करने के लिए शुल्क/प्रभार के रूप में ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय राशि, जैसा कि विशेष रूप से **शेड्यूल *1*** में निर्दिष्ट है।

उद्देश्य' का अर्थ है **शेड्यूल 1**

'*RBI*' का अर्थ होगा भारतीय रिजर्व बैंक।

'आर. सी. बुक' का अर्थ है खंड 8.2 में बताए गए अनुसार किसी मोटर वाहन के पंजीकरण का प्रमाणपत्र।

'पंजीकरण प्राधिकरण' का अर्थ होगा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय *IV*

'ऋण चुकाने की तिथि': (*a*) मासिक किस्तों के संबंध में, वह तिथि, जिस पर या उससे पहले ऋण प्राप्तकर्ता को प्रत्येक मासिक किस्त चुकानी है, जैसा कि शेड्यूल में विशेष रूप से उल्लिखित है, जो ऋण अदायगी की तिथि से शुरू होती है या वह तिथि जिस पर ऋणदाता द्वारा अपनी बही में ऋण प्राप्तकर्ता के नाम पर ऋण दर्ज किया जाता है, इनमें से जो भी पहले हो और इसमें मासिक किस्त शुरू होने से पहले ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा मूलधन पर देय ब्याज के भुगतान की देय तिथि शामिल होती है; और (*b*)
, वह तिथि, जिस पर या उससे पहले ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा संपूर्ण बकाया देय राशि चुकाई जानी है, जैसा कि **शेड्यूल *1*** में विशेष रूप से उल्लिखित है।

'ऋण चुकाने के माध्यम' **का अर्थ है मासिक किस्त और बकाया देय राशि, जैसा भी मामला हो, का भुगतान शेड्यूल 1 में निर्धारित विकल्पों में शामिल निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से हो सकता है**: (*a*) इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएँ और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निर्देश/सेवाएँ (''*ECS*'') या (''*NACH*''), *RBI* – ; (*b*) *RBI* ("*NEFT*") (*c*) एक बैंक से दूसरे बैंक में तत्काल इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधि हस्तांतरण प्रदान करते हुए *RBI* ("*IMPS*–") ; (*d*) *RBI* ("*RTGS*") ( ); (*e*) बैंक के निर्देशानुसार; (*f*) उत्तर-दिनांकित चेक जार करना; (*g*) नकदी भुगतान और (*h*) समय-समय पर उपयुक्त कोई अन्य साधन, जैसा कि **शेड्यूल *1*** में विशेष रूप से उल्लिखित है।

"अनुमोदन/मंजूरी पत्र" का अर्थ ऋण की मंजूरी के संबंध में ऋण प्राप्तकर्ता को जारी किया गया अनुमोदन पत्र है, – , परिवर्तित और पूरक जारी कर सकता है, और इसमें ऋणदाता द्वारा जारी कोई भी उत्तरवर्ती अनुमोदन पत्र भी शामिल है।

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

'सुरक्षा/जमानत' **का अर्थ है वाहन को बंधक रखकर ऋण लेना, जैसा कि अनुबंध के तहत प्राप्त ऋण को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई शेड्यूल 1 में बताया गया है**

'**कर**' का अर्थ किसी भी कर, लेवी, इंपोस्ट, शुल्क या अन्य शुल्क या जीएसटी समेत इस प्रकार की विद्होल्डिंग होगा, जो कि लागू भारतीय कानून के तहत आवश्यक हो सकता है (इनमें से किसी का भुगतान करने में कोई विफलता या किसी देरी से संबंधित कोई आर्थिक दंड या या ब्याज सहित)।

'वाहन'/'उत्पाद' का वही अर्थ होगा जो **शेड्यूल 1** में निर्दिष्ट है और पूर्व-स्वामित्व वाले या प्रयुक्त वाहन या नए को संदर्भित करेगा जैसा कि **शेड्यूल 1** में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है, जिसके संबंध में ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण के लिए आवेदन किया गया है।

'**वेबसाइट**' का अर्थ ऋणदाता की वेबसाइट है, जो वर्तमान में www.bajajautocredit.com है, जिसमें माइक्रोसाइट, यदि कोई हो या ऐसी अन्य वेबसाइट भी शामिल है, जिस पर ऋणदाता द्वारा समय-समय पर सूचना दिया जाता है।

"**ब्याज दर**" **शेड्यूल 1** में पूरी तरह से निर्दिष्ट ब्याज की निश्चित या अस्थायी दर है।

"अधिकृत विक्रेता/डीलर" का अर्थ अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बजाज ऑटो लिमिटेड/चेतक टेक्नोलॉजी लिमिटेड या अन्य द्वारा अधिकृत इकाई होगा और "सब-डीलर" डीलर द्वारा अधिकृत या बजाज ऑटो लिमिटेड/चेतक टेक्नोलॉजी लिमिटेड या अन्य द्वारा अधिकृत इकाई होगी। और यह ऋणदाता का अधिकृत नकद संग्रह केंद्र भी होगा जहाँ ऋण प्राप्तकर्ता सीधे नकद प्राप्ति की पद्धति के तहत ऋण चुकाने का विकल्प चुनता है।

"इलेक्ट्रॉनिक रूप से/इलेक्ट्रॉनिक" का अर्थ होगा और इसमें शामिल होंगे - ईमेल, SMS, OTP ( ), व्हाट्सएप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त सहमति शामिल होगी, जिसमें हस्ताक्षरित शर्त भी शामिल होगी और इसके बारे में खंड 19 (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) में विस्तार से बताया गया है।

समूह कंपनियों का अर्थ ऋणदाता की अधीनस्थ कंपनियाँ, सहायक कंपनियां और/या समूह कंपनियाँ हैं।

"ब्याज दर" का अर्थ **शेड्यूल 1** में पूरी तरह से निर्दिष्ट ब्याज की निश्चित या अस्थायी दर है।

"विक्रेता" किसी भी उत्पाद के विक्रेता को संदर्भित करता है जिसे इस ऋण समझौते के तहत वित्तपोषित करने की माँग की गई है जिसका वर्णन **शेड्यूल 1** में विस्तार से दिया गया है।

व्याख्याएँ: *i*) **एकवचन के संदर्भ में बहुवचन भी शामिल होगा और किसी एक लिंग के संदर्भ में अन्य सभी लिंग शामिल होंगे;** *ii*) **"शामिल है" या "सहित" के अर्थ पर कोई सीमा नहीं होगी;** *iii*) **संदर्भ में आसानी के लिए शीर्षक शामिल किए गए हैं और अनुबंध तैयार करने तथा इसकी व्याख्या करने के समय इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।**

1.2 व्याख्याएँ

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

जब तक कि प्रतिकूल अर्थ न प्रकट हो:

(i) यह "अनुबंध" या कोई अन्य अनुबंध, परिशिष्ट या उपकरण इस अनुबंध के संबंध में समय-समय पर संशोधित, नवीकृत, पूरक, विस्तारित, पुनर्कथित या प्रतिस्थापित किसी अन्य अनुबंध या उपकरण का संदर्भ है।

(ii) कानून का कोई प्रावधान उस प्रावधान का संशोधित या पुनःअधिनियमित संदर्भ है।

(iii) एकवचन को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और बहुवचन दर्शाने वाले शब्दों में एकवचन भी।

(iv) जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता है, इस अनुबंध में उल्लिखित कोई भी समय, तिथि या अवधि प्रमुख होगी और, यदि ऐसा समय, तिथि या अवधि बढ़ाई जाती है तो ऐसा विस्तारित समय, तिथि या अवधि भी प्रमुख ही होगी।

(v) शीर्षक और बोल्ड टाइपफेस का उपयोग, संदर्भ में आसानी होने के लिए किया गया है और अनुबंध तैयार करते और इसकी व्याख्या करते समय इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

(vi) किसी खंड या शेड्यूल 1 का संदर्भ, जब तक कि इसके विपरीत संकेत न दिया जाए, इस समझौते के खंड या शेड्यूल का एक संदर्भ होगा (शेड्यूल इस अनुबंध के अभिन्न अंग होंगे);

(vii) 'शामिल' या 'सहित' शब्द के संदर्भ को बिना किसी सीमा के समझा जाएगा; और

(viii) किसी विशेष लिंग को प्रभावित करने वाले शब्दों में सभी लिंग शामिल होंगे

(ix) किसी भी घटना, मामला, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य, जानकारी, दस्तावेज़, प्राधिकरण, कार्यवाही, कार्य, चूक, दावे, उल्लंघन, डिफ़ॉल्ट या अन्यथा,

(x) जब तक इस अनुबंध में इसके विपरीत निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणदाता द्वारा सहमति या छूट के किसी भी संदर्भ का अर्थ ऋणदाता के विवेकानुसार पूर्व लिखित सहमति या छूट होगा।

(xi) जब तक कोई विपरीत संकेत प्रकट न हो, किसी अन्य दस्तावेज़ में या इस समझौते के तहत या इसके संबंध में दिए गए किसी नोटिस या प्रमाणपत्र में इस्तेमाल किया गया शब्द का उस दस्तावेज़, नोटिस या प्रमाणपत्र में वही अर्थ होगा, जो इस अनुबंध में दिया गया होगा।

(xii) डिफ़ॉल्ट (डिफ़ॉल्ट घटना को छोड़कर) का अर्थ है "निरंतर/जारी", जब तक कि इसमें कोई बदलाव किया या हटाया न जाए और अगर नहीं हटाया गया है को डिफॉल्ट घटना का अर्थ है कि घटना "जारी" है।

2. ऋण

इस अनुबंध और अन्य ऋण दस्तावेजों में निहित नियमों और शर्तों के अधीन, ऋणदाता अपने पूर्ण विवेकानुसार, **शेड्यूल 1** में निर्धारित राशि के लिए ऋण प्राप्तकर्ता को ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है।

3. ऋण का उद्देश्य

ऋण प्राप्तकर्ता ऋण का उपयोग केवल उपरोक्त विवरण में बताए गए उद्देश्य के लिए और जैसा कि **शेड्यूल 1** में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है, के लिए करेगा और सट्टा, धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्यों सहित किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए ऋण राशि का उपयोग/उपयोग नहीं करेगा।

4. पूर्व शर्त

ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता की संतुष्टि के लिए **शेड्यूल 2** में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हुए ऋण आहरण के लिए अनुरोध करने का हकदार होगा।

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

5. **ऋण की अदायगी:**

5.1 यहाँ दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन, **शेड्यूल 1** के तहत दिए गए विवरण के अनुसार ऋण एकमुश्त या ऐसी किस्तों में प्रदान किया जा सकता है।

5.2 यदि किसी तकनीकी या सिस्टम त्रुटि या ऋणदाता के नियंत्रण से परे किसी अन्य घटना के कारण ऋण प्रदान करने में कोई देरी होती है, तो ऋणदाता किसी भी घटना या परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा या उसे उत्तरदायी नहीं माना जाएगा।

5.3 ऋण प्राप्तकर्ता इस बात से सहमत है और पुष्टि करता है कि ऋणदाता को ऋण के साथ-साथ अपने व अपने सहयोगियों और/या तीसरे पक्षों के अन्य उत्पादों और सेवाओं को ऋण प्राप्तकर्ता को बेचने का अधिकार होगा। ऋण प्राप्तकर्ता उपरोक्त किसी भी क्रॉस सेल उत्पाद को स्वीकार करने से पहले उसके नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ने और समझने की आवश्यकता को समझता है और इससे सहमत है।

5.4 यदि ऋण प्राप्तकर्ता बीमा कवर का विकल्प चुनता है और ऋणदाता से ली गई 'सामूहिक बीमा पॉलिसी' का सदस्य है, तो ऋणदाता तो पहले प्रदत्त/प्राप्त बीमा दावे की बकाया देय राशि का निपटान करने का अधिकार होगा। यदि ऐसे विनियोग के बाद कोई अधिशेष बचता है, तो इसका भुगतान ऋण प्राप्तकर्ता को किया जाएगा। यदि कोई घाटा है, तो ऋण प्राप्तकर्ता को तुरंत पूरे घाटे का भुगतान करना होगा।

5.5 ऋण प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर, ऋणदाता अपने विवेक के आधार पर ऋण प्राप्तकर्ता का बीमा करने वाली बीमा पॉलिसी के बीमा प्रीमियम सहित ऐसे क्रॉस-सेल उत्पादों/सेवाओं की खरीद को वित्तपोषित कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी बीमा पॉलिसी में ऋणदाता द्वारा ऐसी बीमा कंपनी को एक विशिष्ट निर्देश और अधिकार हो दिया गया हो कि ऋण चुकाने में किसी भी चूक की स्थिति में, ऐसी बीमा कंपनी द्वारा ऋणदाता को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। क्रॉस-सेल उत्पादों/सेवाओं की कीमत और ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से ऋणदाता द्वारा भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम दिए गए ऋण की मूल राशि के रूप में जोड़ा जाएगा और ऋण की राशि का भाग होगा। जहाँ भी ऋण प्राप्तकर्ता किसी भी क्रॉस-सेल उत्पाद के लिए आवेदन करता है और सहमत होता है, सभी खर्च, शुल्क, शुल्क और कर आदि, जो भी लागू हो, ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। यदि ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से ऋणदाता द्वारा उक्त शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो ऋण प्राप्तकर्ता इस बात को समझता है और सहमत है कि उपरोक्त शुल्क भी ऋण की राशि का हिस्सा होंगे।

5.6 ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता को खरीद मूल्य, बीमा प्रीमियम और अन्य क्रॉस-सेल खर्चों, यदि लागू हो, का भुगतान करेगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिसे किश्तों में जोड़ा जा सकता है। खरीद मूल्य, बीमा प्रीमियम और अन्य क्रॉस-सेल खर्च (यदि ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से ऋणदाता द्वारा भुगतान किया जाता है) ऋण का एक हिस्सा है, जो पहले ही ऋणदाता द्वारा सीधे उत्पाद/सेवा के विक्रेता और ऐसी बीमा कंपनी को भुगतान किया जा चुका है और ऐसे अदायगी को ऋण प्राप्तकर्ता को किए गए अदायगी के बराबर माना जाएगा और ये ऋण का हिस्सा होंगे।

6. **ब्याज/वित्तीय प्रभार**

6.1 ऋण प्राप्तकर्ता ऋण पर ऋणदाता को **शेड्यूल 1** में निर्दिष्ट दर पर वार्षिक ("ब्याज दर") ब्याज का भुगतान करेगा, जिसमें **शेड्यूल 1** में निर्धारित प्रत्येक देय तिथि पर या उससे पहले मासिक छूट होगी। BACL , , जब तक कि **शेड्यूल 1** में स्पष्ट रूप से कोई और उल्लेख न किया गया हो।

6.2 किस्त और/या बकाया राशि के भुगतान में देरी के मामले में, ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता को शेड्यूल 1 के तहत निर्दिष्ट दर पर बकाया दर के अतिरिक्त, प्रति वर्ष ("दंड शुल्क / डिफ़ॉल्ट शुल्क") बकाया और देय के लिए अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, अगर ऋणदाता को ऐसी राशि के लिए डिफ़ॉल्ट की तिथि से ऋण चुकाने की वास्तविक तिथि तक भुगतान नहीं किया गया है। ऋण प्राप्तकर्ता स्वीकार करता है और

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

सहमत है कि यहाँ लगाए गए दंडात्मक आरोप अपने दायित्वों के निर्वहन में ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा किसी भी चूक के कारण ऋणदाता को होने वाले संभावित नुकसान का वास्तविक पूर्वानुमान है।

6.3 दंडात्मक शुल्क लगाना इस समझौते के तहत और लागू कानून के तहत ऋणदाता को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

6.4 ऋण के तहत बकाया देय राशि पर अर्जित सभी ब्याज दिन-प्रति-दिन बढ़ते जाएंगे और प्रति वर्ष 360 (केवल तीन सौ साठ) दिनों को आधार बनाकर घटती शेष राशि पर गणना की जाएगी। ऋण प्राप्तकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि उसने शेष दर को कम करने पर ऋण पर ब्याज की गणना करने की ऋणदाता की पद्धति और किश्तों की गणना को ध्यान से समझा है।

6.5 ऋण प्राप्तकर्ता समझता है और सहमत है कि यदि EMI 30 (तीस) दिनों की अवधि के बाद है, तो ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता को ऋण राशि की अदायगी के समय, 30 (तीस) दिनों की उपरोक्त अवधि से परे ऐसे अतिरिक्त दिनों के लिए, पहली EMI / EMI EMI 30 दिनों के भीतर शुरू हो जाती है; EMI - , ऋण की अवधि के दौरान, अपने विवेक पर या RBI / , SMS , ईमेल या ऋणदाता द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य माध्यम से अपडेट करके ऋण प्राप्तकर्ता को इस आशय की अग्रिम सूचना देगा और ऋण प्राप्तकर्ता इसे मानने के लिए बाध्य होगा।

6.6 ऋण प्राप्तकर्ता ऋण पर खंडित अवधि के ब्याज/EMI- , जैसा कि शेड्यूल 1 में बताया गया है। ऋण प्राप्तकर्ता समझता है और सहमत है कि इस स्थिति में EMI (30) दिन बाद है। ऋण प्राप्तकर्ता ऋण राशि की अदायगी के 30 (तीस) दिनों बाद तक की उपरोक्त अवधि से परे ऐसे अतिरिक्त दिनों के लिए अग्रिम ब्याज में कटौती करने के लिए ऋणदाता को अधिकृत करता है।

6.7 ऋण प्राप्तकर्ता यह समझता है और सहमत है कि, ऋण की EMI EMI ( ) , तो ऋणदाता भुगतान की गई EMI , ऋण की अदायगी से पहले ऋण की पूर्व शर्त के रूप में भुगतान की गई अग्रिम EMI

6.8 ऋण प्राप्तकर्ता ने उपर्युक्त खंडित अवधि के ब्याज/पूर्व-EMI , ब्याज और नीचे बताए गए अन्य कारकों के आधार पर खंडित अवधि की ब्याज/पूर्व-EMI :

ऋण की राशि	INR 1,00,000/-

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

वार्षिक ब्याज दर (% वार्षिक.)	16% वार्षिक.	
परिदृश्य	परिदृश्य 1	परिदृश्य 2
अदायगी की तिथि	19-04-2022	20-04-2022
पहली नियत देय तिथि	03-मई-22	03-06-2022
पहली नियत देय तिथि और ऋण अदायगी की तिथि के बीच का अंतराल (A)	14	44
पहली EMI पर लगाया गया ब्याज (B)	14 (वास्तविक दिन)	30
खंडित अवधि (दिनों में) (A-B)	0	14
खंडित अवधि ब्याज/प्री-EMI (INR)	रु. 0	614(ग्राहक से वसूल करने योग्य)

6.9 **ब्याज दर पद्धति**

BACL BACL

- ( ):

(a) ब्याज दर जोखिम (फिक्स्ड लोन बनाम फ्लोटिंग लोन) (b) संबंधित व्यवसाय खंड में क्रेडिट और डिफॉल्ट जोखिम; (c) मिलते जुलते समजात क्लाइंट का ऐतिहासिक प्रदर्शन; (d) ऋण प्राप्तकर्ता की प्रोफाइल; (e) उद्योग प्रभाग; (f) ऋण प्राप्तकर्ता का ऋण चुकाने का ट्रैक रिकॉर्ड; (f) सहवर्ती सुरक्षा/जमानत की प्रकृति और मूल्य (g) सुरक्षित बनाम असुरक्षित ऋण; (h) उपलब्ध सबवेंशन (i) ऋण की टिकट साइज; (j) क्रेडिट ब्यूरो स्कोर; (k) ऋण की अवधि; (l) स्थान संबंधी विसंगति और ऋण चुकाने का प्रदर्शन (j) दूसरे मौजूदा ऋणों के मामले में ग्राहक का ऋण में होना। बताए गए चर का समय समय पर किसी दिए गए लोन पोर्टफोलियो में ऋणदाता के पिछले प्रदर्शन के अनुसार पुनरीक्षण किया जा सकता है।

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

7. **ऋण चुकाना**

7.1 ऋण प्राप्तकर्ता को ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, लागत, शुल्क, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, जुर्माना, अन्य आकस्मिक शुल्क और आदि, इस समझौते और ऋण दस्तावेजों के संबंध में किए गए खर्च, साथ ही इसके द्वारा बनाई गई प्रतिभूतियों के संरक्षण या वसूली के लिए ऋणदाता द्वारा किए गए या किए जाने वाले खर्च जैसे खर्चों के साथ शेड्यूल 1 में निर्धारित नियत तिथि पर या उससे पहले ऋणदाता को किश्तों का भुगतान करना होगा। । ECS/NACH

, ब्याज, ऋण के तहत वित्तीय शुल्क और उस पर अन्य बकाया देय शामिल होंगे। ऋणदाता, ऋण प्राप्तकर्ता के लिखित अनुरोध पर, स्वैपिंग शुल्क के भुगतान पर अपने विवेक से पुनर्भुगतान मोड को बदलने के लिए सहमत हो सकता है, जैसा कि शेड्यूल 1 में पूरी तरह से वर्णित है।

7.2 इस अनुबंध में किसी भी बात के बावजूद, ऋणदाता किसी भी समय अपने विवेक से और ऋण प्राप्तकर्ता को कोई भी कारण बताए बिना, लागू ब्याज, शुल्क, खर्चों के साथ ऋण खाते को बंद कर सकता है या ऋण प्राप्तकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कह सकता है। और उसके बाद ऋण प्राप्तकर्ता तुरंत ऋण खाता बंद कर देगा/बिना किसी देरी या विलंब के ऋणदाता को बकाया राशि का भुगतान कर देगा। ऋण लेने वाले का ऋणदाता के प्रति दायित्व तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि ऋण प्राप्तकर्ता ने इस समझौते के तहत ऋणदाता को देय संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया है या इस अनुबंध के किसी भी परिशिष्ट या ऋणदाता या इसके समूह की कंपनियों के किसी भी अन्य अनुबंध के परिशिष्टों के अंतर्गत देय का भुगतान को नहीं कर दिया है।

7.3 किसी भी दर, कर, शुल्क, अधिभार, लेवी, धन में परिवर्तन के कारण, या RBI

, /

, दरों, करों, शुल्कों, अधिभार, लेवी और धन में परिवर्तन के कारण किस्तों में ऐसा परिवर्तन केवल संभावित रूप से प्रभावित होगा और यह ऋण का हिस्सा होगा।

7.4 ऋण प्राप्तकर्ता के लिखित अनुरोध पर, ऋणदाता पूर्व-भुगतान शुल्क (जैसा कि **शेड्यूल 1** में उल्लिखित है) के भुगतान के अधीन बकाया राशि ("**पूर्व-भुगतान**") –

(a) पूर्ण पूर्व-भुगतान /फोरक्लोजर –

ऋण प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर, ऋणदाता बकाया राशि के पूर्ण और अंतिम पूर्व-भुगतान के अनुरोध को स्वीकार कर सकता है और ऋण को रोक सकता है यदि ऋण प्राप्तकर्ता ने **शेड्यूल 1** में उल्लिखित कम से कम एक मासिक किस्त और लागू पूर्व-भुगतान शुल्क का भुगतान किया है।

(b) आंशिक पूर्व-भुगतान

ऋण प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर, और शेड्यूल 1 में उल्लिखित आंशिक पूर्व-भुगतान शुल्क के भुगतान के अधीन, ऋणदाता ऋण का आंशिक पूर्व-भुगतान स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि आंशिक पूर्व-भुगतान की राशि न्यूनतम एक मासिक किस्त के बराबर होगी और बशर्ते कि ऋण प्राप्तकर्ता को शेड्यूल 1 में उल्लिखित आंशिक पूर्व-भुगतान करने से पहले कम से कम एक मासिक किस्त का भुगतान करना चाहिए। ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए आंशिक

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

पूर्व-भुगतान के आधार पर, या तो शेड्यूल 1 में निर्दिष्ट ऋण की अवधि ("ऋण अवधि") पूर्व-भुगतान के हिस्से की सीमा तक कम हो जाएगी या ऋण अवधि को बनाए रखते हुए मासिक किस्त की राशि कम हो जाएगी।

ऋण प्राप्तकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि आंशिक पूर्व-भुगतान ऋण प्राप्तकर्ता के बैंक खाते से या नकद या डिमांड ड्राफ्ट/ऋणदाता के पक्ष में आहरित चेक द्वारा किया जाना होगा। तीसरे पक्ष के ऋणदाता के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर या तीसरे पक्ष द्वारा डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश जारी करके किए गए किसी भी भुगतान को ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा बकाया राशि चुकाना माना जाएगा और इस तरह के भुगतान के लिए आगे कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.5 यदि किसी बकाया राशि के संबंध में कोई देय तिथि उस दिन आती है जो कार्यदिवस नहीं है, तो अगला तत्काल पहले आने वाला कार्यदिवस ऐसे भुगतान के लिए नियत तिथि होगी।

7.6 किसी भी प्रकृति का कोई भी विवाद या मतभेद, जिसमें ऋण वापस लेना भी शामिल है, ऋण प्राप्तकर्ता को किसी भी किस्त या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या विलंबित करने का अधिकार नहीं देगा और ऋणदाता देय तिथि पर ऋण प्राप्तकर्ता के बैंक में चेक/ECS/NACH

7.7 ऋण प्राप्तकर्ता इस बात से सहमत है, पुष्टि करता है और समझता है कि ऋणदाता, अपने विवेक पर, अलग-अलग तिथियों पर कई अवसरों पर, ऋण प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में ECS/NACS , ऋणदाता के पक्ष में सभी बकाया राशि को कवर करने के लिए या ऋणदाता द्वारा तय किए गए अनुसार किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन आदेश (ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया) प्रस्तुत करेगा। ऋण प्राप्तकर्ता सहमत है और वचन देता है कि वह ऋणदाता की ऐसी प्रस्तुति पर विवाद, शिकायत या आपत्ति नहीं करेगा। इसके अलावा, ऋण प्राप्तकर्ता समझता है और सहमत है कि चेक/ECS/NACS / / EMI ( ) /EMI

7.8 यदि एक से अधिक ऋण प्राप्तकर्ता हैं जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया है और ऋण लिया है, तो प्रत्येक ऋण प्राप्तकर्ता स्वीकार करता है और सहमत है कि प्रत्येक ऋण प्राप्तकर्ता अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार अनुबंध कर रहा है और प्रत्येक ऋण प्राप्तकर्ता इस समझौते के तहत ऋण प्राप्तकर्ता के भुगतान दायित्वों सहित इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुपालन के लिए ऋणदाता के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा।

7.9 ऋण प्राप्तकर्ता इस बात से सहमत है कि EMI , विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण खाते को बकाया के रूप में चिह्नित किया जाएगा और आपकी समझ में आसानी के लिए इसका विवरण नीचे दिया गया है:

विनियामक आवश्यकताएँ		**चित्रण**
विशेष उल्लेख खाता (SMA) / - (NPA)	**ऋण खाते के वर्गीकरण के लिए मानदंड, मूलधन या ब्याज भुगतान या किसी अन्य राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से बकाया (संक्षेप में नीचे "ऋण बकाया" के रूप में संदर्भित) प्राप्त न होने पर**	**ऋण बकाया के भुगतान की तिथि (07 जनवरी, 2022) और भुगतान न करने पर उसका वर्गीकरण**

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

	आधारित है।	
SMA-0	देय तिथि से 30 दिन बाद तक ऋण की देय राशि का प्राप्त न होना।	SMA-0: 05 2022
SMA-1	देय तिथि से 30 दिनों के बाद से 60 दिनों तक ऋण की देय राशि का न मिलना।	SMA-1: 06 **फरवरी, 2022 को, यदि** BACL **, तो इसे** SMA-1 **के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।**
SMA-2	देय तिथि से 60 दिनों के बाद से 90 दिनों तक ऋण की देय राशि का न मिलना।	SMA-2: 08 **मार्च 2022 को, यदि** BACL **, तो इसे** SMA-2 **के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।**
NPA	देय तिथि से 91वें दिन तक ऋण देय राशि का न मिलना।	NPA: 07 अप्रैल, 2022 को, यदि BACL NPA

8. सुरक्षा/जमानत

8.1 इस बात पर विचार करते हुए कि ऋणदाता ने ऋण प्राप्तकर्ता को ऋण देने/देने पर सहमति व्यक्त की है, ऋण प्राप्तकर्ता पर वाहन (वाहनों) (ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा खरीदा गया और BACL) . , लागत, शुल्क, व्यय और अन्य के साथ बकाया देय राशि और उक्त ऋण के संबंध में देय धनराशि और ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त ऋण के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों के उचित पालन, प्रदर्शन और निर्वहन के लिए या जो आर्थिक देयता का कारण बन सकता, उसकी पूर्ण क्षतिपूर्ति पर लगी सभी लागतों के लिए बीमा, सुरक्षा, पालन, प्रवर्तन या सुरक्षा की प्राप्ति के संबंध में ऋणदाता द्वारा भुगतान या खर्च की गई राशि, शुल्क, व्यय और अन्य धन राशि के लिए ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय ऋण वापसी और निर्वहन के लिए पहले की देय राशि और विशेष शुल्क के अनुसार वाहन पर सुरक्षा राशि तय की जाती है।

8.2 मोटर वाहन अधिनियम (MVA) MVA ( ) / 60 (साठ) दिनों के भीतर उचित पंजीकरण प्राधिकारी के साथ गिरवी पर ऋण शुल्क विधिवत पंजीकृत किया गया है और ऋण प्राप्तकर्ता इसे प्राप्त करने का वचन देता है। वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र ("आर.सी. बुक") में ऋणदाता के पास गिरवी रखने का उल्लेख किया जाता है और आर.सी. की एक प्रमाणित प्रति जमा करने और ऋण अदायगी के 65 दिनों के भीतर और आरसी जमा न करने की स्थिति में ऋणदाता के शुल्क की बही ऋणदाता के पास (उचित पावती के तहत) भेजने के लिए कहा गया है। बही की प्रति न जमा करने की स्थिति में ऋणदाता के पास ऋण को वापस लेने और ऋण प्राप्तकर्ता को बिना कोई सूचना दिए ऋण प्राप्तकर्ता की संपत्ति की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि वाहन किसी पूर्व शुल्क/गिरवी/ग्रहणाधिकार या किसी अन्य

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

प्रभार के अधीन है, तो ऋण प्राप्तकर्ता को तुरंत ऋण अदायगी से पहले वाहन(वाहनों) पर ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता के पक्ष में गिरवी रखने और शुल्क लगाने के लिए अन्य शुल्क से संबंधित ऐसे पूर्व शुल्क/गिरवी/ग्रहणाधिकार या किसी अन्य विकल्प के धारक से एक अपरिवर्तनीय अदेयता प्रमाणपत्र/मुक्ति पत्र प्राप्त करना होगा और ऋणदाता के पास जमा करना होगा।

8.3 वाहन पर रखी गई सुरक्षा राशि इस अनुबंध या ऋणदाता या उसकी समूह कंपनियों के साथ किसी भी अन्य समझौते के तहत ऋणदाता को देय किसी भी अन्य बकाया राशि के साथ ऋण वापसी के लिए निरंतर सुरक्षा की प्रकृति वाली होगी। ऋण प्राप्तकर्ता वाहन को यहां तय सुरक्षा राशि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त रखेगा।

8.4 जब तक इस समझौते के तहत ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण राशि देय और भुगतान योग्य है या ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता से या ऋणदाता की समूह कंपनियों से कोई अन्य वित्तीय सुविधा/ऋण लिया गया है, तब तक ऋण प्राप्तकर्ता इसे बिक्री, हस्तांतरण, निपटान नहीं करेगा, न गिरवी रखेगा, जिसमें शामिल है - गिरवी रखना, वाहन को उसके पंजीकृत राज्य से हटा देना या अन्यथा कोई आरोप या बाधा पैदा करना, या किसी भी कुर्की या संकट को झेलने की अनुमति देना, उधार देना या किसी भी तरीके से वाहन(वाहनों) के कब्जे से बचना या किसी भी तरीके से वाहन के साथ ऐसा कोई व्यवहार करना, जो किसी भी तरह से ऋणदाता के हित के प्रतिकूल हो।. ऋण प्राप्तकर्ता को ऐसा कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे ऋणदाता के पक्ष में बनाई गई सुरक्षा किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी या जिससे किसी भी लेनदार या अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर कोई संकट या कुर्की या निष्पादन लगाया जा सकता है।

8.5 ऋण प्राप्तकर्ता इस तरह के अन्य कार्यों और/या दस्तावेजों को निष्पादित करने और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए सहमत होता है और ऐसा कार्य करने का वचन देता है जो ऋणदाता द्वारा यहां बनाई गई सुरक्षा को और बेहतर बनाने, संरक्षित करने, संरक्षित करने और/या लागू करने के लिए आवश्यक हो सकता है। यदि ऋण प्राप्तकर्ता इस संबंध में ऋणदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता या उसके एजेंटों को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों को निष्पादित करने और कोई भी फैसला लेने के लिए (ऋण प्राप्तकर्ता के वकील के रूप में) अपरिवर्तनीय रूप से नियुक्त और अधिकृत किया जाता है। यहां वाहन के संरक्षण प्रवर्तन और प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

8.6 यदि ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार बकाया देय राशि का भुगतान होने तक किसी भी समय ऋणदाता द्वारा अपेक्षित हो, तो ऋण प्राप्तकर्ता अतिरिक्त अतिरिक्त/संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसे ऋण प्राप्तकर्ता लेता है और पुष्टि करता है कि वह किसी भी शुल्क या बाधा से मुक्त होगी और ऋणदाता को इसका स्वीकार्य रूप से एक स्पष्ट और विपणन अधिकार होगा।

8.7 बिक्री की शक्ति

(i) डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना (खंड 13) के घटित होने पर, ऋणदाता इस प्रकार बनाई गई सुरक्षा (वाहन) को नियंत्रित करने और/या कब्ज़ा करने, जब्त करने, पुनर्प्राप्त करने, प्राप्त करने, हटाने और/या बेचने का हकदार होगा। सार्वजनिक नीलामी द्वारा या निजी अनुबंध द्वारा, वाहन की वसूली या अन्यथा निपटान के लिए भेजना या भेजना और उससे संबंधित किसी भी अधिकार या दावे को लागू करना, प्राप्त करना, निपटान करना, समझौता करना और निपटना, इनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग करने या उत्तरदायी होने के लिए बाध्य हुए बिना व्यायाम या उसके गैर-व्यायाम में किसी भी नुकसान के लिए और ऋणदाता के अधिकारों और मुकदमे या अन्यथा के उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

(ii) ऋणदाता, या उसके एजेंट/सेवा प्रदाता, या नामांकित व्यक्ति, किसी अदालत या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना, वाहन पर बनाई गई उपरोक्त सुरक्षा के सभी या किसी हिस्से को लागू कर सकते हैं।

(iii) वाहन पर बनाई गई सुरक्षा का कोई भी प्रवर्तन पूरी तरह से ऋण प्राप्तकर्ता के जोखिम और खर्च पर है और, यदि आवश्यक हो, तो ऋणदाता इस संबंध में ऋण प्राप्तकर्ता के लिए और उसके नाम पर वकील के रूप में कार्य कर सकता है।

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

(iv) ऋण प्राप्तकर्ता वाहन की बिक्री से पहले या बाद में ऋणदाता द्वारा किए गए सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए सहमत है।

(v)
( ) ,
, , 30
30 , 8%
, , ( )
, / 7 ( )

9. बीमा

9.1 ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता की संतुष्टि के लिए वाहन का बीमा करेगा और चोरी, क्षति, बाढ़, हानि, विनाश, दुर्घटना, आग, तीसरे पक्ष की देनदारियों सहित सभी अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ वाहन का बीमा (समय-समय पर) कराता रहेगा। और प्रथागत रूप से अन्य सभी जोखिम, ऋणदाता और ऋण प्राप्तकर्ता के संयुक्त नाम पर ऋणदाता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी/निगम के साथ वाहन के पूर्ण बाजार/प्रतिस्थापन मूल्य के बराबर राशि के विरुद्ध हानि प्राप्तकर्ता के रूप में या अन्यथा ऋणदाता की आवश्यकता हो सकती है। ऋण प्राप्तकर्ता विधिवत और नियमित रूप से सभी प्रीमियम का भुगतान करेगा, समय-समय पर लागू होने वाली बीमा पॉलिसियों को नवीनीकृत करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करने के लिए पीड़ित नहीं होगा जो इस तरह के बीमा को अमान्य या समाप्त कर सकता है।

9.2 ऋण प्राप्तकर्ता निरंतर आधार पर, बीमा पॉलिसियों के संबंध में ऋणदाता द्वारा अपेक्षित बीमा पॉलिसियां, प्रीमियम रसीदें, नोट्स और अन्य दस्तावेज ऋणदाता के पास जमा करने का वचन देता है।

9.3 यदि ऋण प्राप्तकर्ता उपरोक्त खंड 9.1 का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर (ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना) ऐसे संयुक्त नामों और प्रीमियम, अन्य शुल्कों में वाहन का बीमा कर सकता है या ऋण प्राप्तकर्ता से इसकी मांग कर सकता है। डिफ़ॉल्ट ब्याज, यदि कोई हो, इस समझौते के तहत ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय बकाया राशि का हिस्सा होगा और इसमें निहित अनुसार पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा।

9.4 ऋण प्राप्तकर्ता इस बात पर भी सहमत है कि ऐसे किसी भी बीमा से या उसके तहत प्राप्त/प्राप्त किसी भी धन को पहले इस समझौते के तहत बकाया राशि के पुनर्भुगतान या परिसमापन के लिए, यहां खंड 15.1 में निर्धारित तरीके से लागू किया जाएगा।

9.5 वाहन के पूर्ण नुकसान की स्थिति में, यदि बीमा कंपनी द्वारा तय की गई राशि ऋण के संबंध में ऋणदाता को देय बकाया राशि से कम है, तो ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता को इस अनुबंध के तहत बिना किसी आपत्ति के देय शेष बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने का वचन देता है।

9.6 ऋण प्राप्तकर्ता वचन देता है कि वह बीमा पॉलिसियों या बीमा के संबंध में किए गए किसी अन्य समझौते में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा। दुर्घटना सहित किसी भी घटना की स्थिति में, जिससे वाहन का मूल्य कम हो सकता है, ऋण प्राप्तकर्ता को तुरंत ऋणदाता के साथ-साथ संबंधित बीमा कंपनी को उचित रसीद के तहत लिखित रूप में सूचित करना आवश्यक है। और वाहन को होने वाली या होने वाली संभावित क्षति को कम करने/कम करने के लिए आवश्यक

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

सभी कार्रवाई करेंगे।

10. ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण और वारंटियाँ

10.1 ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता के समक्ष एतद् द्वारा घोषित, प्रस्तुत और वारंट करता है कि:

(i) यह ज्ञात है कि ऋणदाता शेड्यूल 1 और 2 में दिए गए बयानों और विवरणों सहित इच्छित उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर और विश्वास में ऋण देने के लिए सहमत हो गया है।

(ii) इसके पास ऋण दस्तावेजों में प्रवेश करने और यहां विचार किए गए लेनदेन करने और कोई भी कार्रवाई करने और यहां की शर्तों के अनुसार आवश्यक किसी भी दस्तावेज को निष्पादित करने की पूरी शक्ति, क्षमता और अधिकार है।

(iii) ऋण दस्तावेज़ और उसके अनुसरण में निष्पादित किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़, जब निष्पादित और वितरित किए जाएंगे, तो ऋण प्राप्तकर्ता के कानूनी, वैध, बाध्यकारी और लागू करने योग्य दायित्व होंगे।

(iv) न तो किसी ऋण दस्तावेज़ का निष्पादन और वितरण, न ही उसमें विचार किए गए लेनदेन की समाप्ति, न ही किसी ऋण दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों की पूर्ति या अनुपालन (*i*) लागू कानून का उल्लंघन करता है या (*ii*) इसके साथ टकराव होता है या किसी समझौते या लिखत के किसी भी नियम, शर्तों या प्रावधानों का उल्लंघन या उसके तहत डिफ़ॉल्ट का परिणाम देता है;;

(v) ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा या उसकी ओर से ऋणदाता को दी गई या दी गई सभी जानकारी सभी मामलों में सत्य और सही थी और अधूरी या भ्रामक नहीं थी।

(vi) किसी भी अदालत, सरकारी प्राधिकारी या मध्यस्थ के समक्ष ऋण प्राप्तकर्ता को प्रभावित करने वाली कोई कार्रवाई, कार्यवाही, जांच या निषेधाज्ञा, रिट या निरोधक आदेश लंबित नहीं है, जिससे उचित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। इस समझौते की प्रवर्तनीयता या इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्तकर्ता की क्षमता, और ऋण प्राप्तकर्ता के संबंध में कोई दिवालियापन घटना नहीं हुई है।

(vii) *RBI*

(viii) यह आपूर्तिकर्ता/डीलर/पूर्व मालिक (जैसा भी मामला हो) से वाहन (यहां सुरक्षित) की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा। ऋणदाता किसी भी कारण से ऋण प्राप्तकर्ता को हुई किसी भी क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें ऋण राशि के वितरण, वाहन की स्थिति, उसके रंग, मेक, मॉडल, किसी भी दोष और/ या वाहन की डिलीवरी आदि के संबंध में कुछ भी शामिल है।

10.2 उपरोक्त खंड 10.1 में निहित और बताए गए अभ्यावेदन और वारंटी को इस समझौते की तारीख से प्रत्येक दिन ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा दोहराया जाना माना जाएगा जब तक कि ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को यहां देय सभी बकाया देय नहीं हो जाते। ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार पूरा भुगतान किया जाएगा, जैसे कि उस दिन मौजूद तथ्य और परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया हो।

11. ऋण प्राप्तकर्ता की संविदाएँ

11.3 ऋण प्राप्तकर्ता सभी लागू कानून, नियमों, विनियमों और आदेशों का हर तरह से पालन करेगा। ऋण प्राप्तकर्ता ऐसी अन्य शर्तों का पालन करेगा जो लागू कानून की आवश्यकता के अनुसरण में ऋणदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं।

11.3 ऋण प्राप्तकर्ता, अपने खर्च पर, आगे के सभी उपकरणों और दस्तावेजों को तुरंत निष्पादित और वितरित करेगा, और आगे की सभी कार्रवाई करेगा और ऋणदाता द्वारा समय-समय पर अनुरोध की जाने वाली जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

11.4 ऋण प्राप्तकर्ता को (*i*) इस समझौते और ऋण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने और पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक किसी भी प्राधिकरण को पूरी ताकत से बनाए रखने और प्रभावित करने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्राप्त, अनुपालन और करना होगा; (*ii*) इस समझौते और इसके संबंध में निष्पादित सभी ऋण

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

दस्तावेजों के साक्ष्य में वैधता, वैधता, प्रवर्तनीयता या स्वीकार्यता सुनिश्चित करना; और (*iii*) इसे अपना व्यवसाय उसी प्रकार जारी रखने में सक्षम बनाना जैसा कि समय-समय पर किया जाता है।

11.5 ऋण प्राप्तकर्ता (ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना) (*i*) अपने संवैधानिक दस्तावेजों में संशोधन या संशोधन नहीं करेगा। (*ii*) किसी भी समामेलन, पृथक्करण, विलय या कॉर्पोरेट पुनर्निर्माण, संविधान में परिवर्तन में प्रवेश करना; (*iii*) अपने साझेदारों (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सहित)/प्रमोटर/निदेशक/मुख्य प्रबंधन में, जैसा भी लागू हो, परिवर्तन करेगा; और (*iv*) जब तक कि किसी लागू कानून के तहत स्पष्ट रूप से आवश्यक न हो, ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा वर्तमान में अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धति या नीतियों को बदल दें।

11.6 ऋण प्राप्तकर्ता इसकी तैयारी, बातचीत, निष्पादन, प्रशासन और इसके संबंध में अनुबंध/सुरक्षा और दिए गए ऋण दस्तावेज़ प्रवर्तन के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए सभी खर्चों (स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य करों, खर्चों आदि सहित) के लिए ऋणदाता को प्रतिपूर्ति करेगा।

11.7 ऋण प्राप्तकर्ता वाहन और ऋण के संबंध में मौजूदा और साथ ही भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी करों, दरों, शुल्कों, शुल्कों, जुर्माने और अन्य करों और दायित्वों का भुगतान करेगा और वहन करेगा।

11.8 ऋण प्राप्तकर्ता इस बात से सहमत है और पुष्टि करता है कि ऋणदाता, ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से या ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से वाहन के आपूर्तिकर्ता / विक्रेता / डीलर / वितरक को वितरित ऋण राशि की वापसी प्राप्त करने का हकदार है, ऐसे मामलों में जहां ऋण प्राप्तकर्ता इस समझौते के तहत डिफ़ॉल्ट करता है और /या आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/डीलर/वितरक द्वारा आरसी हस्तांतरण गतिविधियां पूरी नहीं की गई हैं और/या ऋणदाता के पक्ष में हाइपोथिकेशन के माध्यम से वाहन पर प्रभार का सृजन नहीं किया गया है और या वाहन का बीमा नहीं किया गया है या जहां ऐसे वाहन की खरीद की गई है किसी भी कारण से रद्द कर दिया गया है। ऐसे परिदृश्यों में, ऋण प्राप्तकर्ता को वाहन के आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/डीलर/वितरक को वितरित ऋण राशि की वापसी प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी चीजें करनी होंगी और ऐसे सभी लेखों को निष्पादित करना होगा।

11.9 ऋण प्राप्तकर्ता सहमत है और शेड्यूल 1 में निर्धारित किसी भी विवरण की शुद्धता को प्रभावित करने वाली किसी भी परिस्थिति/घटना के बारे में ऋणदाता को ऐसी किसी भी परिस्थिति/घटना के घटित होने पर तुरंत लिखित रूप में सूचित करने का वचन देता है।

11.10 ऋण प्राप्तकर्ता सहमत है और वाहन पर बनाई गई सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी परिस्थिति/घटना जैसे अदालती कुर्की/जब्ती की कार्यवाही आदि के बारे में ऋणदाता को लिखित रूप में सूचित करने के लिए सहमत है, ऋण प्राप्तकर्ता बिना किसी डिफ़ॉल्ट के ऋण की किश्तों का भुगतान करने के लिए भी सहमत है। वाहन अदालती कार्यवाही/कुर्की/जब्ती आदि के अधीन है,

11.11 ऋण प्राप्तकर्ता पुष्टि करता है और वचन देता है कि ऋण प्राप्तकर्ता उस बैंक खाते में धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा जिस पर चेक/*ECS/NACS* /

, जब तक कि ऋणदाता की राय में, बकाया देय राशि का पूर्ण और अंतिम भुगतान ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं कर दिया जाता है।

11.12 ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता का नाम नहीं बदलेगा या ऋण प्राप्तकर्ता का बैंक खाता नहीं बदलेगा जिस पर ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना चेक/*ECS/NACS* /

11.13 ऋण प्राप्तकर्ता को ऋणदाता को लिखित रूप में (उचित रसीद के तहत) या ईमेल (*BACL_customercare@bajajautocredit.com*) सूचित करना होगा:

a. ऐसी घटना होने पर तुरंत ऋणदाता के पास पंजीकृत ऋण प्राप्तकर्ता का पता, ईमेल, मोबाइल नंबर बदलना।

ऋणदाता

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

समय-समय पर, ऋण की अवधि के दौरान, अपने विवेक पर या विनियामक आवश्यकताओं और ऐसे संशोधित ब्याज में परिवर्तन के कारण ब्याज दर को संशोधित करने का हकदार होगा। हालाँकि, ऐसे परिवर्तन केवल व्यापक आर्थिक परिदृश्यों आदि के आधार पर आपातकालीन स्थितियों में ही किए जाएंगे। संशोधित दर को ऋण का हिस्सा माना जाएगा। ब्याज दर में कोई भी संशोधन संभावित तिथि से प्रभावी होगा और ऋणदाता अपनी वेबसाइट पर अपडेट के माध्यम से या ऋणदाता द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य माध्यम से ऋण प्राप्तकर्ता को इस आशय की अग्रिम सूचना देगा और यह ऋण प्राप्तकर्ता पर इस अनुबंध के अनुसार बाध्यकारी होगा। . मासिक किस्तें किसी भी दर, कर, शुल्क, अधिभार, लेवी और धन में परिवर्तन के कारण स्वचालित रूप से बदल जाएंगी जो कि मासिक किस्तों पर लगाए गए हैं या लगाए जा सकते हैं या इसके तहत विचार किए गए लेनदेन या ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा देय हो सकते हैं। मासिक किस्तों में उपरोक्त परिवर्तन केवल भावी प्रभाव से ही प्रभावी होगा।

11.14 ऋण प्राप्तकर्ता को डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना (और उसके समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदम, यदि कोई हो) के बारे में पता चलने पर तुरंत ऋणदाता को सूचित करना होगा।

11.15 ऋण प्राप्तकर्ता को किसी भी मुकदमे, मध्यस्थता, जांच या प्रशासनिक कार्यवाही के विवरण के बारे में ऋणदाता को सूचित करना होगा जो उसके खिलाफ वर्तमान, खतरे में या लंबित है, और जो प्रतिकूल रूप से निर्धारित होने पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

11.16 ऋण प्राप्तकर्ता करेगा:

(i) ऋणदाता के पक्ष में बनाए गए या बनाए जाने वाले उक्त वाहन पर हाइपोथिकेशन को रिकॉर्ड करने के लिए एमवीए या किसी अन्य लागू कानून के तहत पंजीकरण प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारियों के साथ दाखिल किए जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करें और वितरित करें।

(ii) आरसी के किसी भी नुकसान, नष्ट होने या गुम होने की सूचना वाहन या वाहन से संबंधित बीमा पॉलिसी की पुस्तक, हानि, विनाश या गुम होने के 3 (तीन) व्यावसायिक दिनों के भीतर लिखित में ऋणदाता को दें।

(iii) वाहन पर अपने शुल्क का समर्थन करने के लिए ऋणदाता को आवेदन दिए बिना अन्यथा रूप से वाहन के लिए (ऋणदाता से एनओसी प्राप्त किए बिना) किसी भी डुप्लिकेट आरसी बुक के लिए आवेदन न करें

(iv) वाहन के पंजीकरण को पंजीकरण के मूल शहर के अलावा किसी अन्य शहर या कस्बे में स्थानांतरित न करें।

(v) इस समझौते और अन्य ऋण दस्तावेजों के तहत किसी भी अधिकार या दायित्व को, चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौंपने या किसी भी तरीके से हस्तांतरित करने का हकदार नहीं होगा।

11.17 ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता द्वारा माँग किए जाने पर ऐसा करेगा:

(i) वाहन/वाहनों (सुरक्षा) का वास्तविक कब्ज़ा ऋणदाता, उसके नामांकित व्यक्तियों या वाहन के एजेंटों/सेवा प्रदाताओं (जैसा भी मामला हो) को दें।

(ii) वाहन से संबंधित सभी पंजीकरणों, नीतियों, प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों को ऋणदाता, उसके नामांकित व्यक्तियों या एजेंटों/सेवा प्रदाताओं (जैसा भी मामला हो) को स्थानांतरित करना, वितरित करना और समर्थन करना;

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

(iii) ऐसे सभी कार्य, कार्य, आश्वासन, मामले और चीजें जो ऋणदाता द्वारा आगे सुनिश्चित करने और पुष्टि करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, , शक्तियां और उपचार ऋण प्राप्तकर्ता की लागत और खर्च पर करें और निष्पादित करें या करवाएं।

11.18 ऋण प्राप्तकर्ता एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति की तरह वाहन की उचित देखभाल करना सुनिश्चित करेगा और ऋणदाता को उचित रसीद के तहत लिखित रूप में तुरंत सूचित करेगा। वाहन की किसी भी चोरी, हानि, आग या क्षति के बारे में, वाहन के संबंध में किसी भी बीमा कंपनी के साथ कोई भी दावा दर्ज करना, स्थानीय अधिकारियों को सूचना देना और ऐसा लेखन ऋणदाता को (उचित पावती के साथ) ऐसी क्षति या दावा दायर करने के 3 (तीन) कार्यदिवस के भीतर सौंप दिया जाएगा।

11.19 ऋण प्राप्तकर्ता समझता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता और/या उसके किसी भी अधिकारी, सेवा प्रदाता, प्रतिनिधि, लेखा परीक्षक, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रबंधन सलाहकार, मूल्यांकनकर्ता या ऋणदाता द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिना किसी सूचना के और ऋण लेने वाले के सभी संबंध में खर्चों पर, ऋण लेने वाले / किसी तीसरे पक्ष के कार्यालय, घर, परिसर जहां वाहन रखा / पार्क किया जाता है और वाहन और सभी की स्थिति और अस्तित्व का सत्यापन और निरीक्षण करें उसके सत्यापन के लिए या ऋणदाता द्वारा मूल्यांकन करने के लिए उससे संबंधित दस्तावेज़, जिसमें वाहन का कब्ज़ा वापस लेना (डिफ़ॉल्ट की घटनाएं) शामिल है और इस संबंध में ऋणदाता को ऋण प्राप्तकर्ता/तीसरे पक्ष से किसी और सहमति की आवश्यकता नहीं है।

11.20 ऋणदाता को किसी मूल्यांकक और/या ऋणदाता द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा सभी या किसी भी वाहन का मूल्यांकन कराने का अधिकार होगा और इस प्रकार प्राप्त किया गया मूल्यांकन ऋण प्राप्तकर्ता पर बाध्यकारी होगा और ऐसे मूल्यांकन की फीस और व्यय विशेष रूप से होंगे ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और इसे ऋण प्राप्तकर्ता को भुगतान की गई अग्रिम राशि के रूप में माना जाएगा और ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को चुकाया जाएगा और इस समझौते द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा।

11.21 वाहन इस समझौते की अवधि के दौरान हर समय और जब तक इस समझौते या ऋणदाता या समूह कंपनियों के साथ किसी अन्य समझौते के तहत ऋणदाता को कोई पैसा बकाया रहेगा, तब तक उसे बनाए रखा जाएगा और चालू रखा जाएगा। आदेश दिया गया है और अच्छी मरम्मत की गई है और आगे ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना वाहन में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करने का वचन देता है और सहमत है। ऐसी मरम्मत/सर्विसिंग के संबंध में ऋण प्राप्तकर्ताओं के पास वाहन पर ग्रहणाधिकार बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा या माना जाएगा।

11.22 ऋण प्राप्तकर्ता इस बात से सहमत है कि नीचे खंड 13 (डिफॉल्ट की घटनाएं) में निर्दिष्ट डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर, वह तुरंत वाहन को ऋणदाता के विशेष कब्जे और नियंत्रण में सौंप देगा और आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने, सभी पर हस्ताक्षर करने का वचन देगा। ऋणदाता द्वारा वाहन के असाइनमेंट, सुचारू हस्तांतरण या बिक्री की सुविधा के लिए आवश्यक आरटीओ फॉर्म, और नीलामी क्रेता के नाम पर या ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा तय किए गए व्यक्ति के नाम पर पंजीकरण के हस्तांतरण पर आपत्ति नहीं होगी।

11.23 बंधक वाहन की बिक्री की शुद्ध आय से अधिशेष वसूली, यदि कोई हो (अर्थात, सभी बकाया राशि के भुगतान के बाद), ऋणदाता के देय और देय अन्य सभी ऋणों और देनदारियों के ऋणदाता को पुनर्भुगतान के लिए लागू किया जाएगा। ऋणदाता या उसके किसी सहयोगी, किसी अन्य खाते/खातों पर। यदि शुद्ध बिक्री आय/ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि बकाया देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो ऋणदाता किसी भी अन्य खाते में और किसी अन्य क्षमता में ऋणदाता और/या उसके सहयोगियों के हाथों में किसी भी अन्य धन को लागू करने का हकदार होगा। ऋणदाता को ऐसी बकाया राशि का भुगतान ऋण प्राप्तकर्ता के खाते में जमा होना चाहिए। यदि अभी भी कोई कमी है, तो ऋण प्राप्तकर्ता को ऋणदाता से सूचना मिलने के 7 दिनों के भीतर ऐसी कमी का भुगतान करना होगा। इसमें शामिल कोई भी चीज़ किसी भी तरह से ऋण प्राप्तकर्ता के खिलाफ ऋणदाता के कानूनी उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

नहीं डालेगी या प्रभावित नहीं करेगी।

11.24 ऋण प्राप्तकर्ता इसके द्वारा सहमत है और ऋणदाता को अपने अन्य उत्पादों और सेवाओं (जैसे बीमा, मूल्य वर्धित उत्पाद इत्यादि) और उसके उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए ऋण प्राप्तकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत करता है (किसी भी माध्यम से जिसे ऋणदाता उचित समझे) सहयोगी, ऋण प्राप्तकर्ता को.

11.25 ऋण प्राप्तकर्ता किसी भी और सभी स्टांप शुल्क, स्टांप शुल्क दंड, पंजीकरण शुल्क और समान करों और कर्तव्यों और अन्य शुल्कों और खर्चों का भुगतान करेगा जो इस समझौते और/या ऋण में प्रवेश, प्रदर्शन या प्रवर्तन के दस्तावेज़ चाहे निष्पादन के समय हों या उसके बाद के, संबंध में देय हैं या हो सकते हैं।

11.26 किसी भी कारण से ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण रद्द करने की स्थिति में, जिसमें ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा वाहन की वापसी, बीएसीएल के पक्ष में वाहन के बंधक का समर्थन न करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, तो ऋण प्राप्तकर्ता को तुरंत ऋणदाता द्वारा वितरित ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा। ऋण प्राप्तकर्ता के लिए, ऐसा न करने पर इसे डिफ़ॉल्ट की घटना माना जाएगा"।

11.27 ऋण प्राप्तकर्ता इस बात से भी सहमत है और इस तरह के परिवर्तन/अद्यतन, यदि कोई हो, के 30 दिनों के भीतर ऋणदाता को अद्यतन केवाईसी दस्तावेज़ जमा करने का वचन देता है।

12. घोषणा

12.1 ऋण प्राप्तकर्ता सहमत है और समझता है कि ऋण प्राप्तकर्ता को ऋण देने से संबंधित एक पूर्व शर्त के रूप में, ऋणदाता को लिए गए ऋण से संबंधित जानकारी और डेटा के ऋणदाता द्वारा प्रकटीकरण के लिए ऋण प्राप्तकर्ता की सहमति की आवश्यकता होती है। ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले दायित्व, उसके संबंध में ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा सुनिश्चित किए गए/आश्वस्त किए जाने वाले दायित्व, उसके निर्वहन में ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा की गई चूक, यदि कोई हो, और ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य जानकारी। ऋण प्राप्तकर्ता आगे घोषणा करता है कि ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई जानकारी और डेटा सत्य और सही है।

12.2 ऋण प्राप्तकर्ता सहमत है और ऋणदाता द्वारा सभी या ऐसे किसी भी प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है, जैसा कि लागू कानून के तहत आवश्यक है:

(i) ऋण प्राप्तकर्ता से संबंधित जानकारी और डेटा

(ii) ऋण प्राप्तकर्ता, सह-ऋण प्राप्तकर्ता/सह-आवेदक द्वारा लिए गए/प्राप्त किए जाने वाले ऋण से संबंधित जानकारी या डेटा; और

(iii) ऐसे दायित्व के निर्वहन में ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा की गई चूक, यदि कोई हो

जैसा कि ऋणदाता RBI , क्रेडिट सूचना कंपनियों ("सीआईसी"), केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री, एनएसडीएल, सीईआरएसएआई को प्रकट करना और प्रस्तुत करना उचित और आवश्यक समझ सकता है, जिसमें ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड और/या कोई अन्य क्रेडिट ब्यूरो शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। /RBI / / (" ") 2016 के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस संबंध में अधिकृत एजेंसियां; और/या किसी अन्य वैधानिक या विनियामक या कानून प्रवर्तन प्राधिकरण (न्यायालय और/या न्यायाधिकरण सहित) को।

12.3 ऋण प्राप्तकर्ता इस पर भी सहमति देता और समझता है कि:

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

(i) सीआईसी और लागू कानून के तहत अधिकृत कोई भी अन्य एजेंसी/प्राधिकरण ऋणदाता द्वारा प्रकट की गई ऋण प्राप्तकर्ता की जानकारी और डेटा का उपयोग और/या उस तरीके से प्रसंस्करण कर सकता है जैसा कि उनके द्वारा उचित समझा जाए; और,

(ii) सीआईसी और लागू कानून के तहत अधिकृत कोई भी अन्य एजेंसी/प्राधिकरण, ऋणदाता/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, जैसा भी हो, इस संबंध में *RBI*

12.4 ऋण प्राप्तकर्ता इस बात से सहमत है और समझता है कि ऋणदाता ऋणदाता के रूप में ऋण आवेदन के प्रसंस्करण के संबंध में अन्य उत्पाद, प्रचार या किसी अन्य उद्देश्य को प्रदान करने के लिए ऋणदाता के सहयोगियों सहित किसी भी तीसरे पक्ष को ऋण प्राप्तकर्ता से संबंधित किसी भी जानकारी/दस्तावेज का खुलासा कर सकता है। उचित समझ सकते हैं।

13. डिफॉल्ट घटनाएँ

13.1 निम्नलिखित घटनाओं की घटना को डिफ़ॉल्ट की घटनाओं ("डिफ़ॉल्ट की घटनाएं") के रूप में माना जाएगा:

(i) इस समझौते के तहत मूलधन और/या ब्याज या बकाया देय राशि, चक्रवृद्धि ब्याज, अतिरिक्त ब्याज और किसी भी अन्य शुल्क/खर्च या धन की किसी भी किस्त के भुगतान में चूक या इस समझौते के किसी भी परिशिष्ट या किसी पूरक समझौते या कोई अन्य ऋण दस्तावेज़।

(ii) इन उपहारों या किसी अन्य ऋण दस्तावेज़ और/या किसी अन्य सुरक्षा दस्तावेज़ या ऋण से संबंधित किसी अन्य नियम और शर्त में निहित किसी भी दायित्व के प्रदर्शन या पालन में कोई उल्लंघन या चूक।

(iii) ऋणदाता या उसकी समूह कंपनियों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए किसी अन्य ऋण या सुविधा के संबंध में किसी भी नियम और शर्तों के तहत कोई चूक।

(iv) कोई भी घटना या परिस्थिति घटित होती है जो इस समझौते के तहत बकाया राशि चुकाने या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने या इस समझौते के किसी भी परिशिष्ट या किसी पूरक समझौते या किसी अन्य ऋण दस्तावेजों को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्तकर्ता की क्षमता पर प्रतिकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है।

(v) ऋणदाता के पास यह मानने का कारण है कि ऋण प्राप्तकर्ता की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है, और वह इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

(vi) यदि इस समझौते या इसके अनुसरण में ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा किया गया कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी गलत पाई जाती है या ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आवश्यक या आवश्यक जानकारी छिपाई गई है;

(vii) ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता द्वारा अपेक्षित कोई भी जानकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

(viii) किसी भी ऋण प्राप्तकर्ता की मृत्यु या स्थायी विकलांगता;

(ix) ऋण प्राप्तकर्ता के संबंध में दिवालियापन की घटना घटित होना;

(x) ऋण प्राप्तकर्ता की पूरी संपत्ति या उसके किसी हिस्से के खिलाफ लागू या लगाया जाने वाला कोई निष्पादन या संकट या कोई अन्य प्रक्रिया;

(xi) ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता या उसके सहयोगियों या किसी अन्य बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान के साथ निष्पादित किसी अन्य मौजूदा समझौते के तहत डिफ़ॉल्ट है और ऋणदाता की संतुष्टि के लिए ऐसे डिफ़ॉल्ट का समाधान या सुधार नहीं किया गया है;

(xii) वाहन नष्ट हो गया है या चोरी हो गया है या काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया है या यदि ऋणदाता की एकमात्र राय में वाहन का मूल्य वास्तव में कम हो गया है या किसी अपराध में शामिल है या ऋण प्राप्तकर्ता किसी अपराध में शामिल है; और

(xiii) ऋण प्राप्तकर्ता संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के साथ सुरक्षा/वाहन को पंजीकृत करने में विफल रहता है / समय-समय पर सुरक्षा/वाहन का बीमा (व्यापक) करने में विफल रहता है / सुरक्षा / वाहन पंजीकरण रिकॉर्ड पर ऋणदाता का दृष्टिबंधक शुल्क बनाने में विफल रहता है / करने में विफल रहता है संबंधित

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

प्राधिकारी को आवश्यक करों का भुगतान करें/समय-समय पर परमिट को नवीनीकृत करने में विफल रहें।

(xiv) यदि ऋण प्राप्तकर्ता वाहन को हस्तांतरित करता है या स्थानांतरित करने, बेचने, पट्टे पर देने, चार्ज करने, भार उठाने या ग्रहणाधिकार बनाने का प्रयास करता है।

(xv) वाहन को उसके पंजीकरण राज्य से ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा स्थानांतरित किया जाता है

13.2 उपरोक्त खंड 13.1 में उल्लिखित कोई भी मामला, घटना या परिस्थिति घटित हुई है या जारी है, इसके निर्धारण पर ऋणदाता की राय अंतिम होगी और ऋण प्राप्तकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

13.3 **डिफ़ॉल्ट की घटना के परिणाम**

ऊपर निर्दिष्ट डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना के घटित होने पर, ऋणदाता को, ऋण प्राप्तकर्ता को कोई सूचना दिए बिना, निम्नलिखित का अधिकार होगा: , अर्जित ब्याज और अन्य सभी राशियों (बिना किसी सीमा के भविष्य की किस्तें, बकाया राशि, पूर्व-भुगतान शुल्क, बाउंस शुल्क, EMI , डिफ़ॉल्ट शुल्क सहित) को वापस लें/मांग करें। इस समझौते के तहत अर्जित या बकाया (ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त बीमा या मुआवजे का) तुरंत भुगतान किया जाएगा; 13.4 के अनुसार वाहन के सभी या किसी भी हिस्से को जब्त करना, पुनर्प्राप्त करना, प्राप्त करना और चार्ज करना और / या कब्ज़ा लेना और वाहन को अलग करना, बेचना या स्थानांतरित करना होगा। या अपने एजेंटों/सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नीलामी, निजी अनुबंध, निविदा, प्रेषण या अन्यथा वाहन का निपटान, जैसा कि ऋणदाता उचित समझे;

(i) ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा किसी भी डिफ़ॉल्ट की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो (CIBIL) और/या RBI द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रकट करना;

(ii) ऋण प्राप्तकर्ता के नाम या उसकी कंपनी/फर्म/इकाई और/या उसके निदेशकों/शेयरधारकों/भागीदारों/मालिकों के नाम को डिफॉल्टर के रूप में इस तरह से प्रकट, प्रकाशित या देना, जैसा कि ऋणदाता या RBI ; और

(iii) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करें जो लागू कानून और/या ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणदाता को उपलब्ध हो सकते हैं, जिनमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 (1), , के तहत बिना किसी सीमा के शामिल हैं। ,

(iv) जैसा कि ऊपर बताया गया है, डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना की घटना को किसी अन्य ऋण के तहत डिफ़ॉल्ट की घटना के रूप में भी माना जाएगा या जिसे ऋण प्राप्तकर्ता ने ऋणदाता या ऋणदाता की समूह कंपनियों से लिया हो।

13.4 **सुरक्षा का प्रवर्तन**

ऊपर निर्दिष्ट डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना के घटित होने परबीएसीएल, या उसके एजेंट/सेवा प्रदाता या नामांकित व्यक्ति, वाहन पर बनाई गई उपरोक्त सुरक्षा के सभी या किसी हिस्से को लागू कर सकते हैं (ऋण की सुरक्षा के रूप में बनाए गए वाहन का कब्जा वापस लेने के माध्यम से), साथ या उसके बिना किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण का हस्तक्षेप।

(i) वाहन पर बनाई गई सुरक्षा का कोई भी प्रवर्तन पूरी तरह से ऋण प्राप्तकर्ता के जोखिम और खर्च पर है और, यदि आवश्यक हो, तो बीएसीएल इस संबंध में ऋण प्राप्तकर्ता के लिए और उसके नाम पर वकील के रूप में कार्य कर सकता है।

(ii) ऋण प्राप्तकर्ता सुरक्षा की वसूली या प्रवर्तन के लिए प्रक्रिया से सहमत है जो इस प्रकार होगी:

1. बीएसीएल ऋण प्राप्तकर्ता को ऋण की पूरी बकाया राशि (फौजदारी मूल्य) चुकाने के लिए 7 दिनों का नोटिस जारी करेगा,

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

ऐसा न करने पर बीएसीएल बीएसीएल के प्रतिनिधि/सेवा प्रदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति, जो भी हो, के माध्यम से वाहन को वापस लेने का हकदार होगा। बीएसीएल द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया जाता

हालाँकि, आपातकालीन स्थिति में और ऋण प्राप्तकर्ता के विवरण और/या ठिकाने की अनुपलब्धता या वाहन तीसरे पक्ष/न्यायिक या गैर-न्यायिक प्राधिकारियों के कब्जे में है और/या ऋण प्राप्तकर्ता किसी अपराध में शामिल है और/या वाहन पंजीकृत नहीं है और /या बंधक नहीं है और/या बीमाकृत नहीं है और/या इसके पंजीकरण की स्थिति से हट गया है और या यदि ऋण प्राप्तकर्ता वाहन को स्थानांतरित करता है या स्थानांतरित करने या बेचने या पट्टे पर देने या चार्ज करने या ग्रहणाधिकार बनाने का प्रयास करता है और या ऋण प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है और या ऋण प्राप्तकर्ता के संबंध में दिवालियापन की घटना घटित होने पर। बीएसीएल ऋण प्राप्तकर्ता को बिना कोई सूचना दिए वाहन का कब्ज़ा लेने का हकदार होगा।

2. वाहन को कब्जे में लेने के बाद, बीएसीएल/इसके अधिकृत अधिकारी/इसके एजेंट वाहन की विस्तार से सूची लेंगे।

3. वाहन पर कब्ज़ा करने के बाद बीएसीएल वाहन की वास्तविक बिक्री से पहले ऋण प्राप्तकर्ता को अपना बकाया चुकाने के लिए सभी आवश्यक जानकारी और मौका देने का प्रयास कर सकता है।

4. वाहन का कब्जा लेने के बाद बीएसीएल ऋण प्राप्तकर्ता को ब्याज, पुनर्ग्रहण शुल्क और लागू होने वाले किसी भी अन्य शुल्क/खर्च के साथ संपूर्ण बकाया राशि (फौजदारी मूल्य) चुकाने के लिए 7 दिनों का अंतिम नोटिस भेजेगा, ऐसा न करने पर बीएसीएल उक्त वाहन को सार्वजनिक या निजी नीलामी या निजी संधि की पारदर्शी प्रक्रिया में बेचने का हकदार होगा जैसा वह उचित समझे।

5. बीएसीएल द्वारा की गई बिक्री बिक्री की तारीख पर वैध और पूर्ण होगी और यह उक्त बिक्री की शर्तों और बिक्री पर विचार के संबंध में निर्णायक होगी और ऋण प्राप्तकर्ता का इस पर कोई विवाद/दावा नहीं होगा।

(iii) ऋणदाता वाहन के कब्जे को छुड़ाने के लिए सभी उचित मौके देने का प्रयास कर सकता है और यदि ऋण प्राप्तकर्ता सूचना तिथि के 7 दिनों से पहले फौजदारी मूल्य (पूरी तरह से मांगी गई राशि) का भुगतान करता है, तो बीएसीएल ऋण प्राप्तकर्ता को कब्जा छुड़ाने के लिए अपेक्षित कदम उठाएगा। उपर्युक्त प्रक्रिया RBI

/ -

/ ऋण प्राप्तकर्ता सहमत है और वचन देता है कि वह ऋणदाता को वाहन का कब्ज़ा लेने से नहीं रोकेगा या बाधा नहीं डालेगा, भले ही ऋण वापस ले लिया गया हो, जब भी ऋणदाता की राय में किसी भी पैसे का भुगतान नहीं किए जाने या ऋणदाता की सुरक्षा की आशंका हो। खतरे में डाला जा रहा है और ऋणदाता के प्रतिनिधि किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी हुए बिना, सार्वजनिक या निजी नीलामी या निजी संधि के माध्यम से वाहन को बेचने, किराए पर देने या अन्यथा सौदा करने के हकदार होंगे, और इन प्रस्तुतियों में निर्दिष्ट शुद्ध आय को लागू करने के लिए पात्र होंगे।

(iv) ऋण प्राप्तकर्ता किसी भी कमी का भुगतान तुरंत ऋणदाता को करेगा। ऋणदाता इस तरह की कमी के भुगतान के लिए ऋणदाता के किसी भी खाते में जमा किए गए ऋण प्राप्तकर्ता के सभी धन को समायोजित करने और सेट-ऑफ करने का भी हकदार होगा। इस खंड में शामिल कुछ भी ऋणदाता को वाहन बेचने, किराए पर लेने या उसके साथ सौदा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और ऋणदाता किसी भी अन्य सुरक्षा से स्वतंत्र रूप से ऋण प्राप्तकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने का हकदार होगा। बिक्री पर किसी भी घाटे के मामले में, ऋणदाता द्वारा घाटे की राशि ऋण प्राप्तकर्ता से वसूल की जाएगी। ऋणदाता, ऋण प्राप्तकर्ता के जोखिम और लागत पर, ऋण प्राप्तकर्ता का बकाया वसूलने और/या सुरक्षा लागू करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों को करने और निष्पादित करने का अधिकार और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। और उससे जुड़ी या आनुषंगिक बातें, जैसा बीएसीएल उचित समझे।

14. ***LIEN/SET-OFF***

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

बीएसीएल, बीएसीएल के साथ रखे गए किसी अन्य खाते के विरुद्ध ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं है और/या बीएसीएल के किसी भी खाते से ऋण प्राप्तकर्ता के किसी भी बकाया को समायोजित और समायोजित कर सकता है। बीएसीएल के पास चार्ज जारी करने के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र, फॉर्म 35) को तब तक बनाए रखने और रोकने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जब तक कि इस ऋण के तहत सभी बकाया राशि या ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा बीएसीएल से लिया गया कोई अन्य ऋण, जिसमें कोई भी बाल ऋण शामिल हो या बीएसीएल समूह की कंपनियों से, ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा पूरा भुगतान किया जाता है और/या ऋणदाता द्वारा सुरक्षा और/या अन्यथा के रूप में रखी गई ऋण प्राप्तकर्ता की किसी भी संपत्ति का निपटान, वसूली और/या बिक्री की जाती है और इस ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उसकी आय को समायोजित किया जाता है और /या इस ऋण और/या किसी अन्य ऋण(ऋणों) के तहत ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय कोई भी ब्याज, अन्य शुल्क/खर्च सहित कोई अन्य ऋण। बीएसीएल सेट ऑफ के ऐसे अधिकार के प्रयोग के बाद यथाशीघ्र उचित रूप से व्यावहारिक हो, ऐसे प्रयोग के बारे में ऋण प्राप्तकर्ता को सूचित कर सकता है। किसी अन्य मौजूदा खाते के विरुद्ध ग्रहणाधिकार के प्रयोग की स्थिति में, बीएसीएल ऋण प्राप्तकर्ता के किसी भी खाते के विरुद्ध ग्रहणाधिकार के प्रयोग से पहले या न्यायालय/प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार एक उचित नोटिस प्रदान करेगा।

15. विविध

15.1 जब तक अन्यथा ऋणदाता द्वारा अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से निर्णय नहीं लिया जाता है, इस समझौते या इस समझौते के किसी भी परिशिष्ट या ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए किसी भी पूरक समझौते के तहत देय और देय कोई भी भुगतान, या अन्यथा ऋणदाता द्वारा प्राप्त किया जाएगा, निम्नलिखित आदेश में विनियोजित किया जाएगा

- परिसंपत्ति (वाहन) वापस लेने का शुल्क (रेपो/सरेंडर शुल्क)
- बकाया देय EMI।
- अग्रिम EMI
- पेनल शुल्क (अन्य बकाया देयता शुल्क)
- बाउंस शुल्क/ EMI डिफॉल्ट शुल्क।
- पार्किंग शुल्क।
- वैधानिक शुल्क और
    - अंत में, ऋण दस्तावेज के अधीन ऋणदाता के ऋण प्राप्तकर्ता पर किसी अन्य शुल्क या किसी अन्य दावे के विरुद्ध।

ऋण प्राप्तकर्ता सहमति देता है कि ऋणदाता ऊपर के तर्क में ऋणदाता को सूचना देकर बदलाव कर सकता है।

15.2 कोई भी सामान्य या विशेष ग्रहणाधिकार जिसके लिए ऋणदाता कानून द्वारा या अन्यथा हकदार है या हो सकता है या ऋणदाता के किसी भी वर्तमान या भविष्य के ऋणग्रस्तता या ऋणदाता के प्रति देनदारियों के संबंध में ऋणदाता के कोई अधिकार या उपाय लागू रहेंगे और प्रभाव और ऋणदाता इस अनुबंध के तहत किसी भी प्रतिभूतियों, अधिकारों या उपचारों को लागू करने के लिए बाध्य हुए बिना ऐसे अधिकारों/उपचारों या प्रतिभूतियों को लागू करने या उनका सहारा लेने के लिए खुला होगा।

15.3 इस समझौते के तहत डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना के घटित होने पर ऋणदाता को मिलने वाले किसी भी अधिकार (डिफॉल्टचार्ज को चार्ज करने और गैर-चार्ज करने सहित), शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में ऋणदाता द्वारा कोई देरी या चूक नहीं मानी जाएगी। ऋणदाता की ओर से. इस तरह की निष्क्रियता या विलंबित कार्रवाई से ऋणदाता के पास ऋण प्राप्तकर्ता के खिलाफ मौजूद किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को नुकसान या पूर्वाग्रह नहीं होगा।

15.4 ऋणदाता इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा: देरी, या गैर-डिलीवरी, या वाहन की किसी भी खराबी, क्षति, या गुणवत्ता, या

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

मॉडल, रंग, इसके अलावा वाहन के पंजीकरण, परमिट खरीद (यदि कोई हो) के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा। और इसका नवीनीकरण, फिटनेस (यदि कोई हो), पीयूसी, बीमा और इसका नवीनीकरण, कर/करों का भुगतान आदि, जिसके लिए ऋण प्राप्तकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इस बात पर भी सहमति है कि वाहन के शीर्षक या स्वामित्व में किसी भी प्रकृति का कोई दोष या विवाद होने पर भी ऋणदाता जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा और ऋण प्राप्तकर्ता को इस संबंध में स्वतंत्र रूप से संतुष्ट होना होगा।

15.5 ऋणदाता (ऋण प्राप्तकर्ता को पूर्व सूचना/सूचना के बिना), पूरे या आंशिक रूप से और ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर जैसा कि ऋणदाता अपने किसी भी अधिकार और दायित्व का निर्णय, असाइनमेंट, बिक्री, हस्तांतरण / नवीनीकरण या छूट कर सकता है। इस समझौते के तहत किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान या ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन वाहन, फंड या किसी अन्य व्यक्ति को। ऋण प्राप्तकर्ता ऐसे सभी कार्य करेगा जो ऐसे असाइनमेंट/स्थानांतरण/नवीनीकरण/बिक्री/छूट के कार्यान्वयन के लिए ऐसे सभी कृत्यों, चीजों, कार्यों, दस्तावेजों या आश्वासन को निष्पादित करने में आवश्यक हैं।

15.6 खंड 11.12 के अधीन, इस समझौते को केवल लिखित रूप में संशोधित किया जा सकता है और यह पार्टियों के लाभ के लिए बाध्यकारी होगा।

15.7 यदि इस समझौते के किसी भी प्रावधान को किसी भी क्षेत्राधिकार के तहत किसी भी संबंध में अमान्य या अप्रवर्तनीय या कानून द्वारा निषिद्ध माना जाता है, तो ऐसे क्षेत्राधिकार के अनुसार इस समझौते के शेष प्रावधानों की न तो वैधता, वैधता और न ही प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित होगी या जिससे किसी भी अन्य क्षेत्राधिकार में क्षति होती है, और पार्टियां इस बात पर सहमत होती हैं कि वे इस समझौते के मूल इरादे को प्रभावी बनाने के लिए अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय, वैध प्रावधानों के लिए पारस्परिक रूप से प्रतिस्थापित करेंगे।

15.8 इस समझौते के तहत किसी भी दर या किसी भी राशि का ऋणदाता द्वारा कोई प्रमाण पत्र या निर्धारण, स्पष्ट त्रुटि के अभाव में, उन मामलों का निर्णायक सबूत है जिनसे यह संबंधित है।

15.9 इस समझौते के तहत ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतानों की गणना की जानी चाहिए और करों की किसी भी अनिवार्य रोक को छोड़कर, रोक, सेट-ऑफ, काउंटरक्लेम या कटौती के बिना (और किसी भी कटौती से मुक्त और स्पष्ट) पूर्ण और मूल्य के अनुसार लागू कानून के तहत किया जाना चाहिए।

15.10 ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा यह समझा जाता है कि बीएसीएल अपने विवेक से ब्याज छूट, अंतिम EMI/ , कैश बैक या विशेष योजनाओं का विस्तार कर सकता है जहां ऋण प्राप्तकर्ता को इस राशि का भुगतान बिना किसी देरी या डिफ़ॉल्ट के ऋण किस्तों के पुनर्भुगतान पर ही किया जाएगा। (ऐसे किसी भी ब्याज छूट, अंतिम EMI/ , कैश बैक या विशेष योजनाओं के बारे में बीएसीएल द्वारा समय-समय पर ऋण प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाएगा)

15.11 ऋण प्राप्तकर्ता को इस समझौते को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह समझौते या बीएसीएल को किसी अन्य समझौते के तहत देय ऋण प्राप्तकर्ता की बकाया राशि सहित सभी धनराशि का पूरा भुगतान कर दे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

15.12 किसी भी सेवा-संबंधित मुद्दे के लिए, ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता से संपर्क कर सकता है:

i. ऋणदाता की वेबसाइट www.bajajautocredit.com पर जाएं, राज्यवार ग्राहक हेल्पलाइन नंबरों के लिए या ऋण विवरण और तत्काल सेवा के लिए BACL_customercare@bajajautocredit.com पर संपर्क करें, प्ले स्टोर/एप्पल ऐप स्टोर से ऋणदाता मोबाइल ऐप "माई बीएसीएल" डाउनलोड करें।

ii. बीएसीएल पंजीकृत कार्यालय ग्राहक सेवा, बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड, अक्रुडी, पुराने मुंबई-पुणे राजमार्ग, पुणे -411035, महाराष्ट्र में ग्राहक शिकायत कक्ष से संपर्क करें/लिखें या BACL_customercare@bajajautocredit.com पर ईमेल करें और प्रथम स्तर की शिकायत के लिए प्रमुख ग्राहक को भेजें। सेवा BACL_headcustomercare@bajajautocredit.com और नोडल अधिकारी BACL_nodalofficer@bajajautocredit.com पर द्वितीय स्तर की वृद्धि, ऋणदाता 15 कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का जवाब देगा।

16. अनुबंध, शेड्यूल और यहां संलग्न अन्य दस्तावेज सभी नियमों और शर्तों को एकीकृत करते हैं और सभी बातचीत, पूर्व लेखन का स्थान लेते हैं।

17. ऋण प्राप्तकर्ता पुष्टि करता है कि इस ऋण समझौते की सामग्री (सभी नियम और शर्तें) ऋण प्राप्तकर्ता (ऋण प्राप्तकर्ता/सह-आवेदक/सह-ऋण प्राप्तकर्ता) को ऋणदाता द्वारा उस स्थानीय भाषा में पूरी तरह से समझा दी गई है जो उन्हें ऋण लेने के समय ज्ञात थी। ऋण और उसकी एक प्रति ऋण प्राप्तकर्ता (ऋण प्राप्तकर्ता/सह-आवेदक) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड/मीडिया के माध्यम से सौंपी/प्राप्त की गई है, उसके बाद ही ऋण प्राप्तकर्ता (ऋण प्राप्तकर्ता/सह-आवेदक) ने हाथ से हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान/अभिव्यक्त किया है। इस समझौते के लिए "इलेक्ट्रॉनिक मीडिया" के माध्यम से उनकी सहमति।
इस अनुबंध के किसी भी भाग की एकाधिक व्याख्या के मामले में, अंग्रेजी भाषा मान्य होगी।

18. **संचार**

18.1 इस समझौते के संबंध में ऋण प्राप्तकर्ता को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस वैध रूप से दिया गया माना जाएगा यदि ऋण प्राप्तकर्ता को भेजा गया हो या साधारण डाक से या पंजीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऋण प्राप्तकर्ता के मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा गया हो। या शेड्यूल 1 में बताए गए ऋण प्राप्तकर्ता के मौजूदा पते (ऋणदाता के साथ ऋण प्राप्तकर्ता का पंजीकृत पता या ऋणदाता द्वारा अपने विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त पता) या अंतिम ज्ञात व्यवसाय या निजी पते पर छोड़ दिया गया है। साधारण/पंजीकृत डाक से भेजा गया ऐसा कोई भी नोटिस, पोस्टिंग के 48 घंटों के भीतर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तत्काल प्राप्त होने पर ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त हुआ माना जाएगा।

19 ऋणदाता या ऋणदाता द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष/सेवा प्रदाता के अन्य सभी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस समझौते के तहत और कानून के तहत, डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर, ऋणदाता, उसके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंट, सेवा प्रदाता और ऋणदाता द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष ऋण प्राप्तकर्ता (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/प्रतिनिधियों और ऋण प्राप्तकर्ता के परिवार के सदस्यों सहित तीसरे पक्षों सहित) से संपर्क करने के लिए ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान किए गए संपर्क विवरण का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं, जिनके वह जानकारी जो ऋण प्राप्तकर्ता ने ऋणदाता को प्रदान की है या ऋणदाता द्वारा अपने विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त की गई है। इसके अलावा, ऋण प्राप्तकर्ता को किसी भी बकाया राशि के निपटान के लिए समय-समय पर पोस्ट, टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग, बिटली, व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल फोन आदि के माध्यम से अनुस्मारक भेजा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

19.1 ऋण प्राप्तकर्ता इस बात की पुष्टि करता है, सहमति देता है, स्वीकार करता है और सहमति देता है कि इंटरनेट/वर्ल्ड वाइड वेब/वेबसाइट पर किसी भी परिशिष्ट सहित इस समझौते और अन्य ऋण दस्तावेजों की ऑनलाइन स्वीकृति के परिणामस्वरूप पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध होता है।

19.2 ऋण प्राप्तकर्ता को पता है कि इस समझौते और अन्य ऋण दस्तावेजों, नियमों और शर्तों और उनके किसी भी संशोधन/संशोधन, निर्देश, स्वीकृतियां और संचार (" ") , प्रतिकृति, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग/बिटली

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रेषित किया जा सकता है। ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्रमाणीकरण, व्हाट्सएप, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति, आदि (" ")

, ऋण प्राप्तकर्ता इस समझौते के तहत ऋण और उसके संचालन के संबंध में विभिन्न मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऋणदाता से संचार प्राप्त करने और संचार प्रदान करने का इच्छुक है।

19.3 ऋण प्राप्तकर्ता समझता है और स्वीकार करता है कि ईमेल और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक (")/लिखित रूप में निर्देश/संचार/दस्तावेज/नोटिस भेजने में अंतर्निहित जोखिम शामिल हैं और इसके द्वारा सहमत और पुष्टि करता है कि इससे उत्पन्न होने वाले सभी जोखिम होंगे पूरी तरह से ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा, चाहे यह ऋणदाता के नियंत्रण से परे किसी गैर-संचार, गलत संचार, या तकनीकी त्रुटि के कारण हुआ हो या नहीं। इसके अलावा, ऋण प्राप्तकर्ता को ईमेल आईडी/पता/मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव के बारे में ऋणदाता को लिखित रूप में सूचित करना होगा और ऋणदाता को किसी भी गैर-संचार, गलत संचार, त्रुटि, हानि और क्षति के खिलाफ क्षतिपूर्ति करनी होगी और अन्यथा ऋणदाता को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

19.4 इसके द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता ऋणदाता और उसके सहयोगियों/समूह कंपनियों/समनुदेशितों के खिलाफ कोई भी दावा/मांग/मुआवजा/शिकायत करने से छूट देता है और ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से उचित परिश्रम किए बिना किसी भी व्यक्तिगत/संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

19.5 ऋण प्राप्तकर्ता डोमेन जानकारी दर्ज करके उत्पादों/सेवाओं का लाभ उठाने के लिए केवल ऋणदाता/उसके सहयोगियों/समूह कंपनियों/असाइन किए गए लोगों की आधिकारिक वेबसाइट/लिंक का उपयोग करने का वचन देगा।

19.6 ऋण प्राप्तकर्ता डेटा/गोपनीयता उल्लंघन के संभावित जोखिम को स्वीकार करता है, और ऋण प्राप्तकर्ता वचन देता है कि किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण/डेटा के उल्लंघन आदि और इसके कारण किसी भी पक्ष को होने वाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए ऋण प्राप्तकर्ता पूरी तरह उत्तरदायी होगा। इसलिए, ऋण प्राप्तकर्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी कि उनका व्यक्तिगत डेटा/संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा (किसी भी पासवर्ड, वित्तीय जानकारी, खाता विवरण, ओटीपी आदि सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) को इसके माध्यम से साझा/संग्रहीत/पहुंच योग्य नहीं बनाया गया है: ऋण प्राप्तकर्ता की जानकारी के साथ या उसके बिना कोई भी भौतिक साधन (किसी व्यक्ति/तीसरे पक्ष को प्रकटीकरण, आदि) या

(i) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, निम्नलिखित सावधानियां/सुरक्षा उपाय अपनाकर:

(a) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेबपेज एन्क्रिप्टेड है, ऋण प्राप्तकर्ता हमेशा यह जांच करेगा कि किसी भी ऑनलाइन लेनदेन से पहले किसी वेबसाइट के एड्रेस बार में "*https*" दिखाई देता है या नहीं;

(b) ऋण प्राप्तकर्ता को अपने वेब ब्राउज़र पर तीसरे पक्ष के एक्सटेंशन, प्लग-इन या ऐड-ऑन का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्तिगत विवरण को ट्रैक करने या चोरी करने का जोखिम हो सकता है;

(c) ऋण प्राप्तकर्ता को हमेशा जानकारी टाइप करनी चाहिए और किसी भी व्यक्तिगत/संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के भंडारण के जोखिम को रोकने के लिए वेब ब्राउज़र पर ऑटो-फिल विकल्प का उपयोग नहीं करना चाहिए;

(d) ऋण प्राप्तकर्ता डार्कनेट, अनधिकृत/संदिग्ध वेबसाइटों, संदिग्ध ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तक नहीं पहुंच पाएगा या अविश्वसनीय स्रोतों से एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करेगा।

(e) ऋण प्राप्तकर्ता किसी भी डोमेन/वेबसाइट तक पहुंचने से पहले कुकीज़ को अक्षम करना सुनिश्चित करेगा,

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी किसी तीसरे पक्ष द्वारा ट्रैक नहीं की जाती है, जब तक कि अन्यथा जानबूझकर इसे स्वीकार करके ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा अनुमति न दी जाए;

(f) ऋण प्राप्तकर्ता किसी अज्ञात/अज्ञात स्रोत/स्रोतों से किसी भी सामान्य ईमेल का जवाब नहीं देगा;

(g) ऋण प्राप्तकर्ता किसी भी वेबसाइट/एप्लिकेशन की गोपनीयता नीति की जांच करेगा ताकि यह पता चल सके कि किस प्रकार की जानकारी एकत्र की जा सकती है और उस वेबसाइट/एप्लिकेशन पर स्वीकार/आगे बढ़ने/लेन-देन करने से पहले इसे किस तरीके से संसाधित किया जा सकता है;

(h) ऋण प्राप्तकर्ता को हमेशा ऋण प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर/लैपटॉप/टैब/आई-पैड/स्मार्ट फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर विश्वसनीय स्रोत से प्रामाणिक वेब/मोबाइल एप्लिकेशन को सत्यापित और इंस्टॉल करना होगा;

(i) ऋण प्राप्तकर्ता इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म (जैसे ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया, वेबसाइट) पर साझा किए गए किसी भी अज्ञात वेबलिंक, बिटली या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक लिंक तक नहीं पहुंच पाएगा।

19.7 ऋणदाता द्वारा इसकी अनुमति देने पर विचार करते हुए, ऋण प्राप्तकर्ता इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से, ऋणदाता के साथ निम्नानुसार पुष्टि करता है और वचन देता है:

a. ऋणदाता अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार पर भरोसा करने (और उसे वास्तविक मानने) का हकदार होगा (ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना)। किसी भी प्रश्न के मामले में कि संचार क्या प्रदान किया गया या प्राप्त किया गया, ऋणदाता द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिकॉर्ड को अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा।

b. ऋण प्राप्तकर्ता ने यह सुनिश्चित किया है और सुनिश्चित करेगा कि ऋणदाता को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान किए गए हैं और इसके द्वारा सहमत और पुष्टि करता है कि ऋणदाता इस संबंध में किसी भी सत्यापन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

c. ऋण प्राप्तकर्ता पुष्टि करता है कि ऋणदाता संचार के संपूर्ण या किसी भी भाग के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा जैसा कि इस प्रकार बताए गए संचार में दिखाई दे सकता है और यह ऋण प्राप्तकर्ता के एकमात्र जोखिम पर होगा।*d.* इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के आधार पर ऋणदाता किसी भी कार्य के परिणामों या कार्य करने से इनकार या चूक या ऋणदाता द्वारा कार्रवाई को स्थगित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

e. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार के संबंध में कोई भी कार्रवाई करने से पहले ऋणदाता को लिखित रूप में संचार की प्राप्ति का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी और लिखित रूप में ऐसे संचार की गैर-डिलीवरी और गैर-अनुरूपता किसी भी तरह से इस समझौते के तहत ऋणदाता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

f. ऋणदाता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के संबंध में ऋण प्राप्तकर्ता को प्रदान की गई सुविधाओं को वापस ले सकता है या संशोधित कर सकता है या जोड़ सकता है।

g. ऋण प्राप्तकर्ता जानता है और पुष्टि करता है कि ऋणदाता केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए किसी भी संचार पर कार्रवाई करने के लिए सहमत है, और इस खंड/समझौते/परिशिष्ट, यदि कोई हो, में निहित वचन और क्षतिपूर्ति पर भरोसा कर रहा है।

h. ऋण प्राप्तकर्ता इस बात से सहमत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (जैसे ईमेल, प्रतिकृति, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग/बिटली, व्हाट्सएप, ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्रमाणीकरण, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति इत्यादि) द्वारा कोई भी संचार उस समय से प्रभावी होगा जब ऋणदाता को भेजा जाएगा।

20. विवाद निपटान

इस अनुबंध या इसके प्रदर्शन के संबंध में उठे किसी भी दावे और विवाद को सहयोजन हेतु एकल मध्यस्थ के समक्ष ले जाया जाएगा, जो निम्नलिखित तरीके से नियुक्त किए जाएँगे:

ऋणदाता ऋण प्राप्तकर्ता को संबोधित करते हुए अधिकतम तीन मध्यस्थों का नाम सुझाते हुए सूचना (साधारण या पंजीकृत डाक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (जैसे ईमेल, फैक्स, SMS /बिटली, व्हाट्सऐप, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति आदि) के द्वारा) देंगे, जिनसे ऋणदाता कर सकते हैं:

(i) प्रस्तावित नामों में से एक को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने की पुष्टि करें और नोटिस की तारीख ("नोटिस अवधि") से दस (10) दिनों की अवधि के भीतर ऋणदाता को लिखित रूप में पुष्टि करें; या

(ii) उक्त नोटिस अवधि के भीतर एकमात्र मध्यस्थ के प्रस्तावित नामों के खिलाफ ऋणदाता के पंजीकृत पते या Legal@bajajautocredit.com पर लिखित रूप में आपत्ति, यदि कोई हो, बताएं।

हालाँकि, यदि ऋणदाता को उक्त नोटिस अवधि के भीतर पार्टियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो ऋणदाता इसे एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पार्टियों द्वारा सहमति/स्वीकृति मानेगा जैसा कि ऋणदाता द्वारा तय किया जा सकता है।

मध्यस्थता का स्थान या तो पुणे या राज्य की राजधानी या किसी भी राज्य में, या दिल्ली/नई दिल्ली में होगा या ऋणदाता के विवेक पर निर्भर होगा। मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत इसके संशोधनों, किसी भी वैधानिक संशोधन या उस समय लागू होने वाले पुन: अधिनियमन के साथ आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

मध्यस्थता की शुरुआत के बावजूद, ऋणदाता मौजूदा कानून के तहत अपने बकाया की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने और/या सुरक्षा लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 भी शामिल है। SARFAESI'') और उसके तहत बनाए गए नियम और कानून।

21. लागू कानून और न्यायाधिकार क्षेत्र

a. यह समझौता और इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले गैर-संविदात्मक दायित्व भारतीय कानून द्वारा शासित हैं। खंड 17 के अधीन, पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी मामले पुणे, भारत में अदालतों या न्यायाधिकरणों (जैसा भी मामला हो) के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे या समय-समय पर रऋणदाता द्वारा तय किए जाएंगे।ऋण प्राप्तकर्ता/सह-आवेदक ने नीचे दी गई अनुसूचियों सहित इस अनुबंध के सभी पृष्ठों को पढ़ और समझ लिया है और वे इस समझौते के प्रत्येक पृष्ठ पर सभी नियमों और शर्तों की संचयी स्वीकृति के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से हस्ताक्षर करने/स्वीकार करने के लिए सहमत हैं।

ऋणदाता आवेदक
सह-आवेदक

ELECTRONICALLY ACCEPTED
(ELECTRONIC MODE)